



संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट
Abridged Annual Report
2015-16

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. महाराष्ट्र
CENTRAL BANK OF INDIA
Central Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Maharashtra



<p>निदेशक मंडल</p> <p>श्री राजीव ऋषि श्री राज कुमार गोयल श्री बी. के. दिवाकर डॉ. आर. सी. लोढा डॉ. सौरभ गर्ग श्री शेखर भटनागर श्री एस. बी. रोडे श्री गुरबख्शा कुमार जोशी श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय श्री केतुल आर. पटेल</p>	<p>BOARD OF DIRECTORS</p> <p>SHRI RAJEEV RISHI SHRI RAJ KUMAR GOYAL SHRI B.K. DIVAKARA DR. R.C. LODHA DR. SAURABH GARG SHRI SHEKHAR BHATNAGAR SHRI S.B. RODE SHRI GURBAX KUMAR JOSHI SMT. N.S. RATHNAPRABHA SHRI SUPRATIM BANDYOPATHYAY SHRI KETUL R. PATEL</p>
<p>लेखा परीक्षक</p> <p>मे. दूगड एंड एसोशिएट्स मे. एन. सरकार एंड कंपनी मे. बी. एन. मिश्रा एंड कंपनी मे. चंदाभॉय एण्ड जस्सूभॉय मे. लोढा एंड कंपनी मे. पाठक एच. डी. एण्ड असोशिएट्स</p>	<p>AUDITORS</p> <p>M/s. Doogar & Associates M/s. N. Sarkar & Co. M/s. B.N. Misra & Co. M/s. Chandabhoy & Jassoobhoy M/s. Lodha & Co. M/s. Pathak H. D. & Associates</p>
<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट</p> <p>लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि. सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड एलबीएस मार्ग, भानुप (पश्चिम) मुंबई - 400 078. टेलीफोन : 022-2594 6970 फैक्स : 022-2594 6969 ई-मेल आईडी : rnt.helpdesk@linlntime.co.in</p>	<p>REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS</p> <p>Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai - 400 078. Tel : 022 - 2594 6970 Fax : 022-2594 6969 E-mail ID : rnt.helpdesk@linlntime.co.in</p>
<p>बैंक से पत्र व्यवहार करने का पता</p> <p>सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021 संपर्क नं. 022 - 6638 7818 फैक्स : 022 - 2283 5198 ई-मेल आईडी : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>	<p>ADDRESS FOR CORESSPONDENCE WITH THE BANK</p> <p>AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer Central Bank of India 9th Floor, Chandermukhi Nariman Point Mumbai - 400 021 Contact No. : 022 - 6638 7818 Fax No. : 022 - 2283 5198 E-mail ID : agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in</p>



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

वित्तीय वर्ष 2015-16, बैंक के लिए सुदृढीकरण के साथ-साथ चुनौतियों भरा वर्ष रहा है। हमारी संवृद्धि संतुलित रही, जो बाजार परिदृश्य के अनुरूप थी। बैंक ने कृषि, एसएमई एवं रिटेल अग्रिमों जैसे व्यवसाय सेगमेंट पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, जिसने इस वर्ष के दौरान परिणाम देना शुरू कर दिया है।

वर्ष 2015-16 में वैश्विक अर्थव्यवस्था से मंदी के संकेत मिलना जारी रहा। वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही में यूएस अर्थव्यवस्था की 1% की मंद संवृद्धि, मुख्य रूप से जर्मनी एवं फ्रांस में अल्प संवृद्धि की वजह से यूरोज़ोन में केवल 0.3% की संवृद्धि तथा आकुंचित जापानी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था के निराशाजनक प्रवृत्ति के संकेतक हैं।

निराशाजनक बाह्य आर्थिक परिवेश एवं लगातार खराब मानसून के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिति को संतोषप्रद रखा। मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं अन्य जिस कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)-नई सिरीज़ मुद्रास्फीति लगभग 5.50% रही और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) ऋणात्मक रहा है। चालू खाता घाटे की स्थिति समाधानकारक रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि जिस स्तर तक पहुंची है, वह रिज़र्व पर्याप्तता मानदंड से काफी अधिक है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतिगत पहल जैसे उदय योजना के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, मेक-इन-इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन इत्यादि से निश्चित ही हमारी आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत में बैंक, विशेषतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उल्लिखित आशाजनक संकेतों के बावजूद, आर्थिक मंदी की निरंतर मार झेल रहे हैं। आस्ति गुणवत्ता चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ है।

अपनी शाखाओं एवं एटीएम के विशाल नेटवर्क के माध्यम से हमारे बैंक ने अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति को रेखांकित करते हुए, यथार्थ व्यावसायिक लक्ष्य और कार्यनीतियां निर्धारित की है, जो निश्चित रूप से देश की सकारात्मक आर्थिक संकेतकों पर हमें खरा उतरने में सक्षम बनाएगा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक का व्यवसाय वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु.4,50,539 करोड़ से बढ़कर रु. 4,56,337 करोड़ हो गया, इसमें वर्ष-दर-वर्ष 1.29% की वृद्धि दर्ज हुई। बैंक की जमाराशि 4.15% बढ़ गई, तथापि, ऋण में 2.47% की कमी हुई। कुल जमाराशि में कासा की हिस्सेदारी का प्रतिशत 35.48% रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह 34.05% था। व्यवसाय में लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए, उच्च लागत जमाराशि को चरणबद्ध रूप से काफी हद तक कम किया गया है। मार्च 2016 को कुल जमाओं के समानुपात में उच्च लागत जमाओं का हिस्सा 5.56% तक कम कर दिया गया है, जबकि मार्च 2015 में यह 10.73% के उच्च स्तर पर थी। समेकित कोर जमा की संवृद्धि में यह 10.19% से स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है।

बैंक का परिचालन लाभ, वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु. 3559 करोड़ से घटकर रु.2643 करोड़ हो गया। साथ ही, बैंक ने पिछले वर्ष के रु.606 करोड़ के शुद्ध लाभ के समक्ष रु.1418 करोड़ की शुद्ध हानि दर्ज की है।

बैंक की जमा लागत वित्तीय वर्ष 2014-15 के 7.22% से घटकर 6.86% रह गई, बैंक की शुद्ध ब्याज आय, वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु.7247 करोड़ से घटकर, रु.7066 करोड़ हो गई, इसमें 2.50% की कमी दर्ज हुई। बैंक की शुल्क आधारित आय अथवा अन्य आय, वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु.1894 करोड़ बढ़कर रु.1939 करोड़ हो गई।

आस्ति गुणवत्ता, बैंक के लिए पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय रहा है। सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 6.09% से बढ़कर 11.95% हो गया और शुद्ध अग्रिम की तुलना में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 3.61% से बढ़कर 7.36% हो गया। कुछ क्षेत्रों; जैसे बुनियादी क्षेत्र, वस्त्रोद्योग, खनिज एवं लौह, अभियांत्रिकी एवं विनिर्माण, रत्न एवं आभूषण इत्यादि में दबाव के कारण हुआ। आपका बैंक, एनपीए प्रबंधन के संबंध में पूर्व-सक्रिय रहा है और एनपीए स्तर को कम करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है।



बैंक, अर्थव्यवस्था के 'अंतिम पायदान' तक पहुंचने के लिए, विभिन्न वित्तीय समावेशन पहल के माध्यमों से समग्र संवृद्धि के मिशन में पूरी तरह से जुड़ा है। विभिन्न जिलों में सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है, इसमें से हम 7 राज्यों के 51 जिलों में अग्रणी बैंक हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन जिलों में और नए जिलों में और अधिक प्रगति की जाएगी। यह कार्यक्रम बैंक के लिए और अधिक कासा जमा-संग्रहण तथा ऋण विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही, बैंक ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है और दिनांक 31 मार्च, 2016 को 74.18 लाख खाते खोले हैं।

मार्च 2016 को अपनी 4728 शाखाओं का यह बैंक, जिसकी 2/3 शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं हैं, अपनी पहचान रिटेल बैंक के रूप में बनाए रखेगा। आपका बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि रिटेल एवं प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो अब तक की तुलना में और अधिक तेजी से विकास करे।

बैंक की दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता है।

शुभकामनाओं सहित,

भवदीय,


राजीव ऋषि

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27 मई, 2016



निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री राजीव ऋषि
Shri RAJEEV RISHI
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



श्री आर. के. गोयल
Shri R.K. GOYAL
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



श्री बी. के. दिवाकर
Shri B.K. DIVAKARA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director



डॉ. आर. सी. लोढ़ा
Dr. R.C. LODHA
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

(जारी / Contd...)



निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



डॉ. सौरभ गर्ग
Dr. SAURABH GARG

भारत सरकार नामित निदेशक
Govt. of India Nominee Director



श्री शेखर भटनागर
Shri SHEKHAR BHATNAGAR

आरबीआई नामित निदेशक
RBI Nominee Director



श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
Shri SUPRATIM BANDYOPADHYAY

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director




श्री केतुल आर. पटेल
Shri KETUL R. PATEL

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



श्रीमती एन. एस. रत्नप्रभा
Shri N. S. RATHNAPRABHA

गैर-सरकारी निदेशक
Non-Official Director



श्री एस. बी. रोडे
Shri S.B. RODE
अधिकारी कर्मचारी निदेशक
Officer Employee Director



श्री गुरबख्खा कुमार जोशी
Shri GURBAX KUMAR JOSHI
कर्मकार कर्मचारी निदेशक
Workmen Employee Director



सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 30 जून 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी।

- 1) दिनांक 31 मार्च 2016 को बैंक की लेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की स्टैण्डअलोन एवं समेकित लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना।
- 2) एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना।

निम्नलिखित पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर संशोधन या संशोधनों के बिना इसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

प्रस्ताव है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 ('योजना') एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियम, 1998 समय समय पर यथासंशोधित, के अनुसार एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड और /अथवा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारी के अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों तथा स्वीकृतियों, यदि कोई हों, की शर्त पर एवं उक्त अनुमतियां प्रदान करते हुए उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं संशोधनों, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति व्यक्त की गई, की शर्त पर और सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सूचीकरण विनियमन) यथा अद्यतन संशोधित सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अंतर्गत एवं अन्य आवश्यक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों के तथा अन्य लागू कानूनों के अधीन एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण करारों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं जिसे एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे 'बोर्ड' कहा गया है) को प्रदत्त किया जाता है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल है जिसे बोर्ड ने अपनी शक्तियों (इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित) के उपयोग के लिए गठित अथवा पुनर्गठित किया जाना है, को भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से उतनी संख्या में इक्विटी शेयर्स जिनका मूल्य ₹ 3000/- करोड़ (रुपए तीन हजार करोड़) (प्रीमियम, यदि हो, सहित) हो, एक या एकाधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) कंपनियों, निजी अथवा सार्वजनिक निवेश संस्थाओं, सोसायटियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) यथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशकों, राज्य उद्योग विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्यनिधियों, पेंशननिधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं अथवा अन्य निकायों, प्राधिकारियों अथवा निवेशकों की अन्य श्रेणियों जो विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाय, को इस प्रकार सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित एवं आबंटित (तत्समय लागू कानून द्वारा अनुमत निर्गम के उस भाग और उस श्रेणी के व्यक्तियों को पुष्ट आबंटन और/अथवा प्रतियोगी आधार पर आरक्षण के प्रावधान सहित) करने की शक्ति प्रदान करता है कि बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि अति आबंटन के विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हताप्राप्त संस्थानों को नियोजन ऐसे निर्गम, प्रस्ताव अथवा आबंटन सार्वजनिक निर्गमन (अर्थात्, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और राइट्स इश्यू और/अथवा निजी तौर पर आबंटन द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रस्ताव, निर्गम नियोजन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 सेबी (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 ('सेबी आईसीडीआर विनियम') के प्रावधानों तथा भारिबै, सेबी और कोई अन्य प्राधिकारी जो भी लागू हो, द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा और यह उस तरीके तथा उन नियमों एवं शर्तों तथा उस समय समयान्तरों में किया जाएगा जो निदेशक मंडल द्वारा अपनी पूर्ण विवेकाधीन शक्ति में उपयुक्त समझा जाता हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल को सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियम तथा कोई अथवा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने संपूर्ण विवेक से उन निवेशकों जो बैंक के विद्यमान सदस्य हों अथवा न हों, को ऐसी कीमत जो आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्धारित कीमत से कम न हों, को इस प्रकार स्वयं तय करने और आवश्यकता पड़ने पर अग्रणी प्रबंधकों और अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य परामर्शदाताओं अथवा अन्यथा तय करने हेतु प्राधिकृत होगा।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के प्रावधानों, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता व्यवस्था के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स और मीटिंग्स), विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनियम प्रबंधन (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारीकरण), 2000, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और अन्य सभी आवश्यक प्राधिकरणों जिन्हें संयुक्त रूप से ('सक्षम प्राधिकारी' के तौर संदर्भित किया है) के अनिवार्य अनुमोदनों, सहमतियों,



अनुमतियों और/ अथवा स्वीकृतियों के अधीन और ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति देते समय उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, और/अथवा स्वीकृति (जिन्हें इसमें “आवश्यक अनुमोदन कहा गया है”) निदेशक मंडल अपनी सम्पूर्ण विवेकाधीन शक्ति के आधार पर समय-समय पर एक अथवा अधिक श्रृंखलाओं में वारंट के सिवाय इक्विटी शेयरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों, जो बाद में किसी समय इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय अथवा विनिमय योग्य हैं, को सेबी आईसीडीआर विनियमों अथवा उस समय लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित कीमत, नियम एवं शर्तों एवं अन्य प्रकार से तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में यथानिबंधित अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के अनुसार, किसी नियोजन दस्तावेज और अथवा अन्य ऐसे दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (सेबी आईसीडीआर के अध्याय VIII में यथा परिभाषित) को बोर्ड इस प्रकार निर्गम प्रस्ताव एवं आबंटन कर सकेगा कि बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम हो।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि” सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के निहितार्थों में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा एवं ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णता चुकता होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन, इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक विनियमों के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम कीमत पर अधिकतम 5% की छूट पर शेयर, प्रस्तावित करने हेतु अधिकृत है।

सी) प्रतिभूतियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण की संगत तारीख, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार तय होगी।

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्गम के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय एवं आबंटन, लिस्टिंग करते समय बोर्ड को यह अधिकार व शक्ति प्राप्त होगी कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/वे स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या ऐसे ही अन्य उचित प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में चाहे गए या दिए गए संशोधनों, जिनसे बोर्ड सहमत हो, को स्वीकार किया जाए।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई एवं/अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम एवं आबंटन, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, यथालागू, के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर होगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि कथित नए इक्विटी शेयर्स, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं मीटिंग्स) विनियमन, 1998, यथा संशोधित, के अधीन जारी किए जाएंगे और वे सभी प्रकार से बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर्स के समान माने जाएंगे और वे घोषित किए गए लाभांश, यदि कोई हो, के लिए सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप, जो उनकी घोषणा के समय प्रचलित हैं, के लिए पात्र होंगे।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि किसी भी निर्गम अथवा इक्विटी शेयर्स/प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु, निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकानुसार उचित समझे जाने वाले निर्गम पर प्रीमियम सहित सार्वजनिक प्रस्ताव के नियमों को निर्धारित करने के लिए, निदेशक मंडल एतद्वारा प्राधिकृत है और रहेगा तथा उन सभी कार्यों, विलेखों व मामलों को करने तथा उन सभी विलेखों, दस्तावेजों एवं करारों, जो इसके संपूर्ण विवेकाधिकारों में आवश्यक उचित अथवा वांछित हों, का निष्पादन करने तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम आबंटन एवं निर्गम प्राप्तियों के उपयोग के सम्बंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार का प्रश्न, कठिनाइयों अथवा संदेहों का समाधान करने तथा सदस्यों के और अधिक अनुमोदन के बिना, बैंक के सर्वोत्तम हित में अपने संपूर्ण विवेक में उचित एवं आवश्यक समझे जाने के अनुरूप उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विचलनों, बदलावों, समापनों, जुड़ावों को प्रभावी करने तथा इस प्रस्ताव के द्वारा बैंक एवं बोर्ड को प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों का उपयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि निदेशक मंडल एतद्वारा किसी भी बुक-रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(को), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाजिटरी(रियों), पंजीयक(को), लेखापरीक्षक(को) और ऐसी सभी एजेन्सियों, जो इक्विटी/प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्तावों से सम्बंधित अथवा शामिल हैं, के साथ ऐसे सभी ठहरावों को करने एवं उनके निष्पादन के लिए प्राधिकृत है और रहेगा तथा ऐसे सभी संस्थानों एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस अथवा इसी प्रकार की अन्य मदों हेतु पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेन्सियों के साथ ऐसे सभी ठहरावों, अनुबंधों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि का निष्पादन करने के लिए निदेशक मंडल प्राधिकृत है और रहेगा।”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं एवं/ अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श कर एतद्वारा निवेशकों की श्रेणी, जिन्हें शेयर्स/प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर्स/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई है), अंकित मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन/वारंट के प्रयोग/ प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन अथवा मोचन अथवा निरसन पर इक्विटी शेयर्स एवं अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, निर्गम/प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन पर प्रीमियम अथवा छूट, ब्याज दर, संपरिवर्तन की अवधि, रिकॉर्ड अथवा बही बंदी की तिथि का निर्धारण तथा अन्य सम्बंधित अथवा प्रासंगिक मामले, भारत एवं/अथवा विदेश में एक अथवा एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता, निदेशक मंडल जो भी अपने संपूर्ण विवेकाधीन उचित समझे, सहित निर्गम(मों) का स्वरूप एवं नियमों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है और रहेगा।”



“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस तरह के उन शेरर्स/प्रतिभूतियों, जो अभिदत्त न हों, को निदेशक मंडल अपने संपूर्ण विवेक के अंतर्गत उस प्रकार से, जैसा निदेशक मंडल उचित समझे और जैसा विधि द्वारा अनुमत हो, के अनुसार निपटान कर सकेगा.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए बोर्ड को उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिन्हें बोर्ड के पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझा जाता हो और इक्विटी शेयर के निर्गम से संबंधित उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटान हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा आगे इसके पूर्ण विवेकाधिकारों में सही, उचित एवं वांछित समझे जाने वाले उन सभी कार्यों, विलेखों, मामलों, विषयों को करने, सभी दस्तावेजों, लेखनों को निष्पादित करने, जो आवश्यक वांछित व इष्टकर हो, को शेयरधारकों द्वारा इस प्रस्ताव से प्रदत्त अधिकारों से स्पष्टतः उनका अनुमोदन, अंतिम अधिकार व संकल्प मानते हुए उनकी आगे और किसी सहमति, अनुमोदन के बिना, करने हेतु बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है.”

“आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रस्ताव को प्रभावकारी बनाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक(को) अथवा ऐसे किसी उपयुक्त अधिकारी(यों) को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है.”

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27.05.2016

(ए. के. दास)
सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव

नोट :

- व्याख्यात्मक विवरणी**
बैठक के कार्यकलापों के संबंध में प्रमुख तथ्य स्थापित करता व्याख्यात्मक विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं.
- प्रॉक्सी की नियुक्ति**
बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते /सकती हैं और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.
प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 24 जून, 2016 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस शनिवार, 25 जून, 2016 को छुट्टी है.
- प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**
किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 24 जून, 2016 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस शनिवार, 25 जून, 2016 को छुट्टी है.
- बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.**
- उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास**
शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में “प्रॉक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.
- शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :**
बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 25 जून, 2016 (शनिवार) से दिनांक 30 जून, 2016 (गुरुवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी.
- मतदान का अधिकार**
अधिनियम की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, सद्दृश नए बैंक का केन्द्र सरकार से भिन्न कोई भी शेयरधारक, अपने द्वारा धारित शेयरों के

सम्बंध में, बैंक के शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक के मतदान-अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा / होगी।

उपर्युक्त के अधीन, विनियमन 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, अपना हाथ दर्शाकर एक मत दे सकेगा और मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक वोट देने का अधिकार होगा।

9. संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग

विनियमनों के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित प्रथम नाम के व्यक्ति को एकमात्र धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हैं तो केवल प्रथम नामांकित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने एवं मत देने (हाथ दर्शाकर अथवा मतदान द्वारा) का हकदार होगा।

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैठक में अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं।

11.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अतः शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें। आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर डीमेट सेवाएं प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची उपलब्ध है। शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि। साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात् वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/संस्थाओं के शेयर हों।

तथापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें।

- ▶ बैंक का नाम
- ▶ शाखा का पता
- ▶ बैंक खाता संख्या
- ▶ शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- ▶ शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें)।

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए।

11.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना :

हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं। तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरी के पास दर्ज कराए गए पते पर ही लाभांश वारंट (डी.डब्ल्यू.) के द्वारा भेजे गए हैं।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था।

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि (जब भी घोषित किया जाय) सीधे जमा की जा सके। इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं।



12. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या ड्रुप्लीकेट लाभांश/मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो उसे निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना अनिवार्य होता है और तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

13. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग

I. कंपनी नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में बैंक, वोटिंग के वैकल्पिक माध्यम के तौर पर ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तावित करता है ताकि सदस्यगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. कंपनी द्वारा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गयी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधी प्रक्रिया एवं अनुदेश निम्नानुसार हैं :

- (i) रिमोट ई-वोटिंग समयावधि सोमवार दिनांक 27 जून 2016 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ हो कर बुधवार दिनांक 29 जून 2016 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी. इस समयावधि के दौरान शुक्रवार दिनांक 24 जून 2015 की कट ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जिनके शेयर भौतिक रूप में हों अथवा डीमेट रूप में हों, अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं. इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- (ii) शेयर धारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें.
- (iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें.
- (iv) अब अपना यूजर आईडी डालें
ए. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकीय लाभार्थी आईडी
बी. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों के डीपी आईडी के पश्चात 8 अंकों का क्लाइंट आईडी
सी. भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर एंटर करें.
- (v) इसके पश्चात प्रदर्शित की गयी सत्यापन छवि को एंटर कर लॉग इन पर क्लिक करें.
- (vi) यदि आपके पास शेयर्स डीमेट रूप में हैं एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है एवं पूर्व में आपने किसी कंपनी / संगठन में वोटिंग की है तब आपके वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाए.
- (vii) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

	डी मेट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर्स रखने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय अल्फान्यूमेरिक पैन एंटर करें. (डीमेट शेयरधारकों के साथ साथ भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none"> ● वे सदस्य जिन्होंने बैंक / निक्षेपागार सहभागी में अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन फील्ड में अपने नाम के प्रथम दो अक्षर एवं सीक्वेन्स नंबर के 8 अंकों का प्रयोग करें. ● सीक्वेन्स नंबर 8 अंकों से कम होने की स्थिति में, नाम के प्रथम दो अक्षरों को कैपिटल अक्षरों में लिखने के पश्चात यथोचित संख्या में 0 लिखें, अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है एवं सीक्वेन्स नंबर 1 है तब पैन फील्ड में RA 00000001 डालें.
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमेट खाते अथवा लॉग-इन करने के लिए बैंक के रिकार्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें. यदि वे विवरण बैंक अथवा निक्षेपागार में अभिलेखित नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण अनुदेश (iv) में किए उल्लेख के अनुसार सदस्य आई डी / फोलियो नंबर में प्रविष्ट करें.

- (viii) समुचित रूप से उक्त विवरण प्रविष्ट करने के पश्चात, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें.



- (ix) तब ऐसे शेयरधारक, जिनके शेयर्स भौतिक रूप में हैं, उनके लिए सीधा वोटिंग स्क्रीन उपलब्ध हो जाएगा. तथापि वे सदस्य, जिनके शेयर्स डीमेट स्वरूप में हैं वे “पासवर्ड क्रिएशन” मेन्यु में पहुंचेंगे जहां उन्हें नये पास वर्ड फील्ड में अनिवार्यतः लॉग इन पासवर्ड एंटर करना होगा. कृपया नोट करें कि डीमेट शेयर धारकों द्वारा इस पासवर्डका उपयोग अन्य संस्था/कंपनी में, यदि मतदान के लिए पात्र हों, तो वहां भी संकल्पों की वोटिंग के लिए वे इसी पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे, बशर्ते कि कंपनी/संस्था, द्वारा सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुना गया हो. यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और इसे गोपनीय रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें.
- (x) भौतिक स्वरूप में शेयरधारित करने वाले सदस्य, अपने विवरण, सिर्फ इस सूचना में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए ही कर सकते हैं.
- (xi) संबंधित कंपनी का नाम जिस पर आप वोट करना चाहते हों के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें.
- (xii) वोटिंग पृष्ठ पर आपको “संकल्प विवरण” एवं इसके समक्ष वोटिंग के लिए हां / नहीं का विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार हां अथवा नहीं के विकल्प का चयन करें. हां का विकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति दर्शाता है एवं नहीं का विकल्प आपकी असहमति दर्शाता है.
- (xiii) यदि आप संकल्प का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हों तो ‘रिजोल्यूशंस फाइल’ लिंक पर क्लिक करें.
- (xiv) ‘रिजोल्यूशन’ का चयन करने के उपरांत, आपने वोट डालने का निर्णय लिया है, “सबमिट” पर क्लिक करें. एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो “ओ के” पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट परिवर्तित करने हेतु कैसिल पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.
- (xv) संकल्प पर एक बार अपना वोट कन्फर्म करने के पश्चात आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी.
- (xvi) आप वोटिंग पृष्ठ पर “प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिन्ट ले सकते हैं.
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल जाता है तब यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन एंटर कर “फॉरगॉट पासवर्ड” पर क्लिक कर सिस्टम द्वारा दिये गये विवरण को एंटर करें.
- (xviii) **गैर वैयक्तिक शेयरधारक एवं अभिरक्षकों के लिए नोट**
- गैर वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि) एवं अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉगइन कर अपने आपको कॉर्पोरेट के तौर पर पंजीकृत करना आवश्यक है.
 - पंजीकरण फार्म पर संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी एक स्कैन प्रति helpdesk.evotingindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए.
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अनुपालन प्रयोगकर्ता निर्मित किया जाना चाहिए. अनुपालनकर्ता उपयोगकर्ता उन खातों का लिंक देने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक है.
 - खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करनी चाहिए एवं खातों के अनुमोदन के पश्चात वे वोट करने सक्षम होंगे.
 - बोर्ड के संकल्प एवं मुख्तारनामा जिसे अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया गया है, जांचकर्ता द्वारा जांचने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए.
- (xix) ई- वोटिंग के मामले में यदि आपकी कोई शंका अथवा मुद्दा है, तो आप वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग के मेन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं.
- II कट-ऑफ तारीख दिनांक 24 जून 2015 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरधारकों के शेयरों के अनुपात में उनके वोटिंग अधिकार होंगे. तथापि, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार को छोड़कर बैंक का अन्य कोई भी शेयरधारक उसके धारित शेयरों के लिए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के 10 प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने हेतु पात्र नहीं होगा.



- III एक व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के पंजीकरण में अथवा जमाकर्ता द्वारा सम्मोषित लाभार्थी स्वामी के पंजीकरण में रिकार्ड किया गया है, कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2016 को एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग/पूल की सुविधा के लिए पात्र होंगे.
- IV कोई व्यक्ति जो बैंक की सूचना भेजे जाने के पश्चात सदस्य बना हो तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक 24 जून, 2016 को शेयर धारण करते है, उपरोक्त दिए अनुसार यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते है.
- V इस सूचना की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है.
- VI ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने हेतु ईजेडवाई के श्री अंकुर कुमार, एडवोकेट्स एवं कॉर्पोरेट लीगल एडवाजर को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- VII जांचकर्ता, न्यूनतम दो (2) गवाहों जो बैंक के रोजगार में न हों, की उपस्थिति ई-वोटिंग की अवधि की समाप्ति से तीन (3) कार्यदिवस से अनधिक अवधि के भीतर मतों को अनब्लॉक कर सकेंगे, जो बैंक के रोजगार में नहीं हैं और मतों की जांच रिपोर्ट, चाहे वह पक्ष अथवा विरुद्ध जैसी भी हो, तैयार कर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाएगी.
- VIII जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में संकल्प पारित करने के 2 दिनों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे एवं बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे.



व्याख्यात्मक विवरणी

एफपीओ/अधिकार/क्यूआईपी इत्यादि के माध्यम से पूंजी जुटाना

बासेल III के विनियमन के अनुसार, बैंक को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक सामान्य इक्विटी टायर - 1 (सीईटी - 1) अनुपात न्यूनतम 5.5% एवं ईक्विटी पूंजी के रूप में 1.25% की पूंजी संरक्षण टियर 1 अनुपात 8.25% एवं समग्र सीआरएआर 10.25% बनाए रखना आवश्यक है। बासेल III की आवश्यकताओं को पूर्ण करने, बैंक की भावी विस्तार योजनाओं एवं तत्परिणामी पूंजी प्रभार, के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए, अपनी पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक है।

अनुमानित वृद्धि के आधार पर, आपके निदेशकों ने रु. 3000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़) तक की ईक्विटी पूंजी जुटाने करने का निर्णय लिया है एवं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों एवं सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों सहित सभी लागू विनियमों के अधीन बैंक, ईक्विटी पूंजी उगाही विकल्पों यथा सार्वजनिक निर्गमों (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/अथवा अधिकार निर्गम और/अथवा निजी प्लेसमेंट और/अथवा आर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट्स और/अथवा अन्य किसी माध्यम का उपयोग कर सकता है।

यह विशेष संकल्प बोर्ड को एक या एकाधिक श्रृंखला में उस कीमत अथवा कीमतों तथा ऐसे समय अथवा समयांतरों एवं ऐसे निवेशकों को, जैसा बोर्ड अपने विवेक से उचित समझे, उसके अनुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करने की शक्ति चाहता है। ईक्विटी शेयर्स के जारीकरण के विस्तृत नियम एवं शर्तें जब भी बनाए जाएंगे तब उन्हें बोर्ड द्वारा बाजार की प्रचलित स्थिति तथा अन्य संबद्ध घटकों पर ध्यान देते हुए बैंक के विचार से आवश्यक समझे जाने वाले मर्चेट बैंकर्स, लीड प्रबंधकों, सलाहकारों एवं ऐसे अन्य प्राधिकारियों के परामर्श निर्धारित किया जाएगा।

अर्हता प्राप्त संस्थानों को प्लेसमेंट के माध्यम से उपरोक्तानुसार ईक्विटी शेयर्स जारी करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

- ईक्विटी शेयर्स के कीमत निर्धारित के प्रयोजन से संगत तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियामकों के अध्याय VIII और/अथवा लागू अन्य विनियमों के अनुसार प्रस्तावित ईक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में सदस्यों के अनुमोदन की प्राप्ति एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अंतर्गत तत्पश्चात आयोजित उस बैठक की तारीख होगी जिसमें बोर्ड अथवा पूंजी उगाही समिति ईक्विटी शेयर के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लिया जाता है।
- चूंकि शेयर प्रस्ताव का कीमत निर्धारण बाद के चरणों से पूर्व नहीं किया जा सकता अतः जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत व्यक्त करना सम्भव नहीं है। तथापि, यह समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एण्ड मीटिंग्स) विनियम, 1998 अथवा अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों/सहमतियों के प्रावधानों के अनुरूप होंगे, जो लागू हों अथवा अपेक्षित हों।
- पूर्ण दत्त शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के निहितार्थ में सिर्फ अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) को ही किया जाएगा और इनका आबंटन, उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 12 महीने के अन्दर किया जाएगा।
- प्रस्ताव के विस्तृत नियम एवं शर्तें बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परामर्शकों, अग्रणी प्रबंधकों एवं हामीदारों और अन्य वांछित ऐसे प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर तय किए जाएंगे।
- प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार, अतिआबंटन, यदि कोई हो, को मिलाकर इस प्रकार जुटाना गई कुल राशि पिछले वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शित बैंक की निवल मालियत के 5 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों द्वारा समय समय पर दी गई अनुमति के अलावा ये बिना प्रतिभूतियां इनके आबंटन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक अंतरण/विक्रय किए जाने के पात्र नहीं होंगी।
- आबंटित ईक्विटी शेयर डिविडेंड सहित हर प्रकार से बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों समकक्ष होंगे।

आपके निदेशकगण इस कार्य सूची के नोटिस में यथा-उल्लेखित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करते हैं।

बैंक के निदेशकगण को बैंक में उनकी वैयक्तिक क्षमता में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक इस संकल्प हेतु सम्बद्ध एवं इच्छुक माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27.05.2016

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/
कंपनी सचिव



कुल व्यवसाय (₹ करोड़ में)										
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,337
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%	5.25%	6.41%	1.29%
कुल जमा	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%	6.21%	6.46%	4.15%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%	4.02%	6.35%	(2.47%)
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%	18.88%	10.73%	(6.02%)
सीडी अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83%	77.97%	76.36%	76.29	71.44
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%	(0.47%)	0.21%	(0.48%)

लाभप्रदता (₹ करोड़ में)										
पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13	मार्च 14	मार्च 15	मार्च 16
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,826
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%	11.99%	7.41%	(1.69%)
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%	13.54%	7.06%	1.77%
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3,559	2,643
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%	2.05%	9.91%	(25.74%)
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1,418)
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%	(224.43%)	147.98	-
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.75
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,066
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22%	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%	13.16%	11.60%	(2.50%)
गैर-ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,939
गैर-ब्याज आय		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%	15.35%	(1.51%)	2.38



निदेशक रिपोर्ट 2015-16

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लाभ एवं हानि खाते तथा नकद-प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- ❖ बैंक का कुल व्यवसाय रु. 5798 करोड़ की वृद्धि के साथ रु. 456337 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष रु. 450539 करोड़ था, यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 1.29% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ कुल जमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु. 10612 करोड़ की वृद्धि के साथ रु.266184 करोड़ हो गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 4.15% की वृद्धि दर्शाता है।
- ❖ बैंक का कुल अग्रिम रु. 4815 करोड़ घटकर रु.190152 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.47% की कमी दर्शाता है।
- ❖ परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु. 3559 करोड़ से घटकर रु.2643 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 25.74% की कमी दर्शाता है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु.1418 करोड़ की शुद्ध हानि हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु.606 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
- ❖ पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-II के अंतर्गत) 11.07 प्रतिशत रहा। जिसमें टियर-I की हिस्सेदारी 7.44 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 11.89 प्रतिशत था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III के अंतर्गत) 10.41 प्रतिशत रहा, जिसमें टियर-I की हिस्सेदारी 8.20 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वर्ष यह 10.90 प्रतिशत था।
- ❖ शुद्ध मालियत रु. 14921 करोड़ रही।
- ❖ बैंक का सकल एनपीए पिछले वर्ष के रु. 11873 करोड़ में रु. 10848 करोड़ की वृद्धि के साथ, रु.22721 करोड़ हो गया। प्रतिशत रूप में, सकल एनपीए 11.95% रहा है।
- ❖ शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के रु. 6807 करोड़ से बढ़कर रु. 13242 करोड़ हो गया। प्रतिशत रूप में, शुद्ध एनपीए 7.36% रहा है।
- ❖ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2016 में 51.52% रहा है।
- ❖ शुद्ध ब्याज मार्जिन (निम) वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.75 रहा है।
- ❖ प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 1138 लाख से बढ़कर रु. 1195 लाख हो गया।
- ❖ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) (0.48) प्रतिशत है।
- ❖ प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई तथा पिछले वर्ष के रु. 75997 करोड़ से बढ़कर यह रु. 83030 करोड़ हो गया।
- ❖ बैंक के कृषि अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.44 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु. 35,957 करोड़ से बढ़कर यह रु. 36833 करोड़ हो गया।
- ❖ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) ऋण पिछले वर्ष के रु. 26503 करोड़ से बढ़कर रु. 27800 करोड़ हो गया।
- ❖ वर्ष के दौरान, शिक्षा ऋण 8.72 प्रतिशत बढ़कर, कुल रु.3742 करोड़ हो गया।
- ❖ बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) यथा मध्य प्रदेश (18), बिहार (9), महाराष्ट्र (6), उत्तर प्रदेश (5), पश्चिम बंगाल (3), छत्तीसगढ़ (2), राजस्थान (1), ओड़ीसा (1) एवं असम (1) में स्थापित किए हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, आरसेटी ने 1050 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनमें 28244 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से 18926 (अर्थात 67%) प्रशिक्षुओं को बैंक ऋण, वेतन समझौते एवं स्व-वित्त के माध्यम से नियोजित किया गया है।
- ❖ बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2016 तक 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।
- ❖ बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 4,330 गांवों तथा 2000 से कम की जनसंख्या वाले 18,376 गांवों को कवर किया है। बैंक ने ये सभी गांव 6,387 बीसी एजेन्ट के माध्यम से कवर किए हैं। हमने एनसीआर एवं भोपाल क्षेत्र में 41 शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र खोले हैं। बैंक ने अपनी सभी 3677 अति सूक्ष्म शाखाओं को 1427 आधार शाखाओं से सम्बद्ध कर खोला है। बैंक ने अपने बीसी



एजेन्टों और शाखाओं के माध्यम से 157.26 लाख बेसिक सेविंग बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं। दिनांक 31 मार्च, 2016 को इन खातों में कुल जमा शेष रु. 1277.92 करोड़ है।

- ❖ प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत, हमारे बैंक ने 74.18 लाख बीएसबीडी खाते खोले हैं और इनमें रु. 870.60 करोड़ की जमा के साथ अपना व्यवसाय बढ़ाया है।
- ❖ बैंक का कॉर्पोरेट ऋण पिछले वर्ष के रु 97,568 करोड़ से घटकर रु. 87,014 करोड़ हो गया। इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 10.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई।
- ❖ रिटेल ऋण 10.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु.38,505 करोड़ हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2014-15 में यह रु. 34,939 करोड़ था।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2015-16 में, बैकाश्युरेंस व्यवसाय से कुल आय रु.19.48 करोड़ हुई।
- ❖ दिनांक 31 मार्च, 2016 को पूरे देश में बैंक के नेटवर्क में 4728 शाखाएं, 3677 अति-सूक्ष्म शाखाएं (यूएसबी), 5254 एटीएम, 29 सेटेलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल हैं।

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2015-16 की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

रु. करोड़ में

	31.03.2016	31.03.2015	विचलन	%
1 ब्याज आय	25888	26409	-521	-1.97
- अग्रिम	18978	19517	-539	-2.76
- निवेश	6474	6707	-233	-3.47
- अन्य	436	185	251	135.68
2 अन्य आय	1939	1894	45	2.38
3 कुल आय (1+2)	27826	28303	-477	-1.69
4 प्रदत्त ब्याज	18822	19162	-340	-1.77
- जमाराशियां	17653	17520	133	0.76
- अन्य	1169	1642	-473	-28.81
5 परिचालन व्यय	6361	5582	779	13.96
- स्थापना	4465	3825	640	16.73
- अन्य	1896	1757	139	7.91
6 कुल व्यय (4+5)	25183	24744	439	1.77
7 स्प्रैड (1-4)	7066	7247	-181	-2.50
8 परिचालन लाभ (3-6)	2643	3559	-916	-25.74
9 प्रावधान - एनपीए/निवेश/अन्य	5313	2669	2643	99.03
10 कर के लिए प्रावधान	(1252)	284	(968)	(340.85)
11 शुद्ध लाभ	(1418)	606	(812)	(134)

- ❖ वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 1.97 प्रतिशत की कमी हुई।
- ❖ जमाओं पर प्रदत्त, ब्याज 0.76 प्रतिशत बढ़कर, मार्च 2016 में रु. 17653 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष रु. 17520 करोड़ था।
- ❖ वर्ष के दौरान, कर्मचारियों पर व्यय रु.640 करोड़ बढ़कर रु. 4465 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह रु.3825 करोड़ था।



3. प्रावधान

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान, लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित रु.4061 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

	31.03.2016	31.03.2015	विचलन
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	316	39	277
एनपीए के लिए प्रावधान	3828	2610	1218
निवेश पर मूल्यहास/प्रावधान	849	(21)	828
करों के लिए प्रावधान	(1252)	284	(968)
अन्य	320	41	279
कुल	4061	2953	1108

4. लाभप्रदता अनुपात

(प्रतिशत में)

	31.03.2016	31.03.2015
जमाओं की लागत	6.86	7.22
निधियों की लागत	6.95	7.34
अग्रिमों पर आय	10.09	10.75
निवेशों पर आय	8.14	8.22
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.75	2.79
लागत आय अनुपात	70.65	61.07

5. बैंकिंग अनुपात

(प्रतिशत में)

	2015-16	2014-15
ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्ल्यूएफ)	8.85	9.29
गैर-ब्याज आय एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.66	0.67
परिचालन लाभ एवं औसत कार्यशील निधि (एडब्लूएफ)	0.90	1.25
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	-0.48	0.21
प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु. लाख में)	11.95	11.38
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	(3.76)	1.53

6. पूंजी एवं जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2016		31.03.2015	
	बासल - II	बासल - III	बासल - II	बासल - III
टियर - I	7.44	8.20	8.46	8.05
टियर - II	3.63	2.21	3.43	2.85
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	11.07	10.41	11.89	10.90



7. शुद्ध हानि

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक को रु.1418 करोड़ की शुद्ध हानि हुई है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर पर कोई लाभांश न देने की संस्तुति की है।

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- ❖ श्री एम.पी. शोरावाला, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, दिनांक 02.01.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना तीन वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए।
- ❖ श्री कृष्ण सेठी, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, दिनांक 27.02.2016 को कार्य समय की समाप्ति पर अपना तीन वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर कार्य निवृत्त हुए।

निदेशक मंडल, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक के निदेशक पद से निवृत्त हुए श्री एम.पी.शोरावाला, श्री कृष्ण सेठी, द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उनकी सेवाओं को रेखांकित करता है।

9. पर्दाफाश नीति

लोकहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण (पीआईडीपीआई) के अंतर्गत बैंक पर्दाफाश शिकायतों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक का सेंट विजिल नामक एक वेब पोर्टल है जिसमें कर्मचारी और निदेशकगण कदाचारों की रिपोर्टिंग अपनी पहचान उजागर किए बिना कर सकते हैं, जो सिर्फ मुख्य सतर्कता अधिकारी को ही ज्ञात होती है। निदेशकगण और कर्मचारी आवश्यकता के आधार पर लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। इससे कदाचार पर अंकुश लगाने, धोखाधड़ी रोकने एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिलती है।

10. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय;

- ❖ महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के सम्बंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- ❖ समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- ❖ भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- ❖ लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर, लेखे तैयार किए गए हैं।
- ❖ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं एवं वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।
- ❖ सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली तैयार की गयी है जो पर्याप्त व प्रभावी रूप से कार्यरत हैं।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरशः अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अपनाया है।

12. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल बैंक के सतत समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2016

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



प्रबंधन विचार एवं विश्लेषण

भाग ए: आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक एवं भारतीय आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2015-16 में वैश्विक अर्थव्यवस्था से मंदी के संकेत मिलना जारी रहा. वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही में यूएस अर्थव्यवस्था की 1% की मंद संवृद्धि, मुख्य रूप से जर्मनी एवं फ्रांस में अल्प संवृद्धि की वजह से यूरोज़ोन में केवल 0.3% की संवृद्धि तथा आकुंचित जापानी अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था के निराशाजनक प्रवृत्ति के संकेतक हैं.

निराशाजनक बाह्य आर्थिक परिवेश एवं लगातार खराब मानसून के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने स्थिति को संतोषप्रद रखा. मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही. भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार “भारत स्थिरता की एक आश्रय स्थली और अवसरों के दूरवर्ती स्थान के रूप में उभरा है”. सरकार की वित्तीय सुदृढ़ता एवं मुद्रास्फीति कम करने की प्रतिबद्धता पर आधारित इसकी समष्टि अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है. इसकी आर्थिक वृद्धि विश्व में सर्वाधिक है.” मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल एवं अन्य जिंस कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)-नई सीरीज़ मुद्रास्फीति लगभग 5.50% रही और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) ऋणात्मक रहा है. चालू खाता घाटे की स्थिति समाधानकारक रही है. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि जिस स्तर तक पहुंची है, वह रिज़र्व पर्याप्तता मानदंड से काफी अधिक है. फिर भी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के और अधिक कमजोर होने के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतिगत पहल जैसे उदय योजना के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, मेक-इन-इंडिया मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन इत्यादि से निश्चित ही हमारी आर्थिक संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा.

बैंकिंग परिदृश्य

उपर्युक्त आशातीत संकेतों के बावजूद, भारत में बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधोमुखी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणामों का सामना कर रहे हैं. आस्तियों की गुणवत्ता भी चिंता का एक बड़ा कारण बना रहा है. विनियामक सहनशीलता समाप्त करने की कार्ययोजना के भाग स्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा ने बैंकों को अपने तुलन पत्र को सुधारने के लिए प्रेरित किया है. यद्यपि इससे उनकी लभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. ऋण की घटती मांग के कारण लाभ का मर्जिन कम तथा पूंजी की तंगी से व्यावसायिक विकास भी मंद हो रहा है.

हमारे बैंक ने अपनी शाखाओं एवं एटीएम के देश व्यापी नेटवर्क के बल पर व्यावहारिक व्यावसायिक लक्ष्य एवं कार्ययोजना बनाई है जो निश्चित ही देश के सकारात्मक आर्थिक पहलुओं को भुनाने में सहायक होगा.

भाग बी - बैंक का कार्यनिष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च 2016 को बैंक का व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 450539 करोड़ पर 1.29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु. 456337 करोड़ है.

परिचालन लाभ पिछले वर्ष रु. 3559 करोड़ की तुलना में रु. 2643 करोड़ रहा जोकि 25.74 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाता है जिसका मुख्य कारण यह था कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए एक्ज्यूआर के अनुपालन में बैंक को कुछ खाते एनपीए में घोषित करने पड़े जिससे ऋणों पर आय कम हो गई. बैंक ने वर्ष 2015-16 में 1418 करोड़ की शुद्ध हानि दर्शायी है जबकि पिछले वर्ष रु. 606 करोड़ का लाभ हुआ था.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च 2016 को कुल जमा राशि रु. 266184 करोड़ थी. उच्च लागत की जमा + सीओडी की कुल राशि रु. 12347 को घटाकर देखा जाय तो जमा राशियों में पिछले वर्ष की जमा पर 4.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अन्यथा यह 8.98% होती. बचत बैंक जमा वर्ष 2015-16 में 11.75% की वृद्धि के साथ रु. 82485 करोड़ हो गयी जो पिछले वर्ष रु. 73810 करोड़ थी. तथापि चालू जमा राशि वर्ष 2014-15 के रु. 13202 करोड़ से घटकर वर्ष 2015-16 में रु. 11970 करोड़ हो गयी. कुल जमा में कासा का प्रतिशत जो पिछले वर्ष 34.05% था जो इस वर्ष बढ़कर 35.05% हो गया है. कुल कोर जमा वर्ष 2014-15 के रु. 228137 करोड़ पर वर्ष दर वर्ष 10.18 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए रु. 251376 करोड़ हो गयी. जबकि कोर मियादी जमा 2014-15 के रु. 141125 करोड़ पर 11.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2015-16 में रु. 156921 करोड़ के स्तर तक पहुंच गयी.

ऋण

दिनांक 31.03.2016, को बैंक का सकल ऋण रु. 190152 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष रु. 194967 करोड़ था. रु. 12021 करोड़ के डिसकॉम अग्रिमों को बांड्स में संपरिवर्तित किए जाने से वर्ष दर वर्ष आधार पर ऋणों में 2.47% की कमी हो गई अन्यथा इसमें 3.70% की वृद्धि होती.

ऋण निगरानी विभाग

बैंक ने सुपरिभाषित निगरानी नीति शुरू की है, जिसमें एसएमए (विशेष उल्लिखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, इसमें एसएमए प्रबंधन के सभी क्षेत्र, त्वरित चेतावनी संकेतक, निगरानी एवं अनुवर्ती उपाय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली को समाहित किया गया है.



प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण अथवा इतर तुलन-पत्र जोखिम के तुल्य ऋण, में से जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदान किया जाना है।

अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रवाह, बैंक के लिए अत्यंत महत्व का क्षेत्र है। हमने कृषि, एमएसई, आवास, शैक्षिक एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अन्य प्रमुख घटकों में ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत हमारी प्रगति प्रभावपूर्ण रही है। प्राथमिकता क्षेत्र में हमारा नियोजन रु. 75997 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में रु. 83030 करोड़ हो गया जो पिछले वर्ष की राशि में 9.25% की वृद्धि दर्शाता है।

रिटेल ऋण

दिनांक 31.03.2016 को रिटेल ऋण योजनाओं में कुल बकाया राशियां रु. 38505 करोड़ हो गयी जो कि दिनांक 31.03.2015 को रु. 34939 करोड़ थीं। इस प्रकार मार्च 2015 की राशि में 10.21% की दर से रु. 3566 करोड़ की समग्र वृद्धि हुई। बैंक के कुल अग्रिम में रिटेल पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी 20% से अधिक है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- ❖ बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 90 प्राधिकृत डीलर ("बी" श्रेणी) शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है। परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है ताकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके।
- ❖ चालू वित्त वर्ष में, बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो दि.31.03.2015 के रु. 5571 करोड़ से बढ़कर दि.31.03.2016 को रु. 5628 करोड़ हो गया है।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2015-16 में मर्चेन्ट ट्रेड विदेशी विनिमय का टर्नओवर रु. 44,027 करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु. 44,166 करोड़ था।
- ❖ एनआरई जमा राशि दिनांक 31.03.2015 के रु. 3079 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु. 3819 करोड़ हो गई, जो गत वर्ष की तुलना में 24% की वृद्धि दर्शाती है।
- ❖ एफसीएनआर जमा राशि दिनांक 31.03.2015 को यूएसडी 174.85 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31.03.2016 को यूएसडी 204.21 मिलियन हो गई, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है।

ट्रेजरी, निधि एवं निवेश

बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2016 को घटकर रु. 89895 करोड़ हो गया है, जो दिनांक 31 मार्च, 2015 को रु. 89921 (तब आरआईडीएफ के रूप में रिपोर्ट किए गए रु. 95655 करोड़ को निवेश के अंतर्गत दर्शाया गया था) करोड़ था। इस प्रकार पिछले वर्ष के आधार पर इसमें 0.03% की गिरावट दर्ज की गई है। दस वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल दिनांक 31.03.2015 के 7.74% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2016 को 7.42% पर बंद हुआ है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो, मियादी रेपो, परिवर्तनीय मियादी एवं रिवर्स रेपो के कई प्रकार प्रस्तुत कर स्थाई तरलता उपलब्ध कराने हेतु अनेक उपाय किए हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में रेपो रेट को दो बार में 0.75% (जून 2015 में 0.25% एवं अक्टूबर 2015 में 0.50%) कम किया गया था।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थापित जोखिम प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है। ऋण, बाजार, तथा परिचालन जोखिमों एवं पिलर II जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाता है। उत्पादों की कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नए जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है। कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों के अनुपालन पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है।

वसूली विभाग

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए बैंक में विस्तृत दिशानिर्देशों से युक्त एक सुपरिभाषित वसूली नीति मौजूद है। इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, समझौता निपटान, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम, प्रवर्तन वसूली एजेंसियों की नियुक्ति, एआरबी को आस्तियों की बिक्री, इरादतन चूककर्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है। अर्थव्यवस्था में नवीनतम परिवर्तनों/गतिविधियों एवं एनपीए निपटान/प्रबंधन की प्रवृत्तियों इत्यादि को समाहित करने के लिए इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, यद्यपि, बैंक ने रु. 1287 करोड़ की नकद वसूली, रु. 608 करोड़ का अपग्रेडेशन, रु. 1123 करोड़ की अनर्जक आस्तियों की बिक्री के माध्यम से कुल मिलाकर रु. 3018 करोड़ का सुधार किया है परंतु उच्च राशियों के नए खातों (रु. 50.00 करोड़ एवं अधिक के 30 खाते कुल राशि रु. 8202 करोड़) के जुड़ जाने से कार्य निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।



सूचना प्रौद्योगिकी

दिसम्बर 2010 में बैंक ने अपनी 100% शाखाओं को केन्द्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में कवर कर लिया है। बैंक ने नवीनतम प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना स्थापित की है एवं ग्राहकों को परिचालनात्मक कार्यकुशलता एवं त्वरित सेवाएं देने को सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है। विद्यमान कम्प्यूटिंग संसाधनों जैसे हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा एवं अन्य संबंधित आवश्यकताओं के अपडेशन / संवर्धन भविष्य के व्यावसायिक पुर्वानुमान एवं अन्य सांविधिक एवं सुरक्षा बाध्यताओं के अनुसार किया जाता है। संपूर्ण सेटअप सितम्बर 2017 तक की बैंक की आवश्यकताओं के अनुकूल है एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की प्रथा के अनुसार अगले 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जाता है।

लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

बैंक की शाखाएं आंतरिक लेखापरीक्षकों के माध्यम से जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन है और सम्मिश्र जोखिम ढांचे के अनुसार प्रत्येक शाखा को जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है। दिनांक 31.03.2016 को 2300 शाखाएं मध्यम जोखिम रेटिंग, 2296 शाखाएं निम्न जोखिम रेटिंग एवं 64 शाखाएं उच्च जोखिम रेटिंग में वर्गीकृत हैं। बैंक की कोई भी शाखा बहुत अधिक जोखिम रेटिंग एवं अत्यधिक जोखिम रेटिंग के अंतर्गत नहीं है।

शाखा विस्तार

दिनांक 31 मार्च 2016 को, बैंक के नेटवर्क में कुल 4728 शाखाएं हैं, 3677 अतिसूक्ष्म शाखाएं, 5254 एटीएम, 29 सेटलाइट कार्यालय एवं 4 विस्तार पटल हैं। देश के सभी 28 राज्यों, 7 में से 6 केन्द्र शासित प्रदेशों, 561 जिला मुख्यालयों एवं 642 जिलों में से 568 जिलों में उपस्थिति के साथ बैंक का देशव्यापी विस्तार है।

ग्राहक शिकायतें

बैंक के पास आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली के एक भाग के रूप में यूजर फ्रेंडली विशेषताओं के साथ शिकायत पोर्टल है। ग्राहक द्वारा बैंक स्टाफ के दुर्व्यवहार की शिकायतों पर कोई सहनशीलता न रखने के लिए बैंक ने दुर्व्यवहार की घटनाओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु अन्य पीएसबी के सेवानिवृत्त महाप्रबंधकों के पैनल का गठन किया है।

कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशन

हमारे उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर एवं अन्य मास कम्प्यूनिकेशन के माध्यमों से जागरूकता जागृत करने के लिए, गो ग्रीन उपायों को स्वीकार करते समय अपनी ब्रांड छवि को बनाए रखने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए तथा स्टाफ सदस्यों के सक्रिय सहयोग से अपने बैंक के व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए निम्न लागत विज्ञापनों को महत्व देते हुए निरंतर प्रयास करते रहने के हमारे प्रयास इस वर्ष भी जारी रहेंगे।

सतर्कता

सतर्कता संबंधी शिकायतों के त्वरित निपटान को सुसाध्य बनाने के लिए बैंक में रीयल टाइम पर आधारित शिकायत ट्रेक करने के लिए एक ऑन लाइन शिकायत मॉड्यूल प्रारंभ किया था। जिसके फलस्वरूप वर्ष दर वर्ष आधार पर लंबित मामलों में 20% की कमी हुई है। अत्यधिक अनुवर्तन के कारण सतर्कता के मामलों की संख्या में वर्ष दर वर्ष आधार पर 10% की गिरावट आई है।

मानव संसाधन विकास

मानव शक्ति :

मार्च 2016 के अंत में बैंक में स्टाफ सदस्यों की संख्या 37,685 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 39,039 थी। स्टाफ सदस्यों का श्रेणीवार संघटन निम्नानुसार है:

श्रेणी	मार्च 2016	मार्च 2015
अधिकारी	16115	16,247
लिपिक	13103	14,098
अधीनस्थ कर्मचारी	8467	8,694
कुल योग	37685	39,039

सहायक एवं संयुक्त उद्यम

i. सेंट्रल बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड

- लाभ में सतत वृद्धि के कारण स्वामित्व निधि मार्च 2015 के रु. 88.19 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2016 में रु. 91.12 करोड़ हो गई है
- वर्ष के दौरान, कंपनी के कुल अग्रिम मार्च 2015 के रु. 803.53 करोड़ में, 38.17% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2016 को रु. 1110.21 करोड़ हो गया है। आवास ऋण, मार्च 2015 के रु. 628.77 करोड़ से बढ़कर, मार्च 2016 को रु. 881.04 करोड़ हो गए, इसमें 40.12% की वृद्धि दर्ज हुई है। गैर-आवास ऋण रु. 171.68 करोड़ से बढ़कर रु. 229.29 करोड़ हो गए, इसमें 33.56% की वृद्धि दर्ज हुई।

**सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

- ❖ सेन्ट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक न्यास, प्रबंध चैरोटेबल ट्रस्ट इत्यादि सहित अनिवार्यतः न्यासधारिता सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
- ❖ कंपनी डिबेंचर न्यास एवं मर्चेन्ट बैंकिंग गतिविधियां करने के लिए सेबी में पंजीकृत है; परंतु कंपनी ने म्यूचुअल फंड परामर्शक गतिविधि को बन्द कर दिया है।

वित्तीय अद्यतन :

- ❖ कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में रु. 2.00 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष शुद्ध लाभ रु. 3.15 करोड़ था।
- ❖ **खंडवार आमदनी :**

(राशि रुपये में)

विवरण	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
निष्पादक न्यासधारिता से फीस	40,97,743	35,78,295
डिबेंचर एवं प्रतिभूति न्यासधारिता से फीस	2,56,73,602	2,06,85,035
समूहन फीस	-	1,14,29,650
परामर्शक फीस		2,38,63,480
पूँजीगत बाजार के लिए व्यवस्थापन फीस	-	
म्यूचुअल निधि से ब्रोकरेज	-	
कुल	2,97,71,345	5,95,56,460

ii. इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

- ❖ जाम्बिया सरकार तथा भारत के तीन बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है। इसमें इन तीनों भारतीय बैंकों में से प्रत्येक की 20% इक्विटी है, जबकि शेष 40% इक्विटी जाम्बिया गणराज्य सरकार की है।
- ❖ बैंक का वित्तीय वर्ष, कैलेन्डर वर्ष है।
- ❖ बैंक सभी पैरामीटरों में बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शा रहा है और वर्तमान में जाम्बिया का छठा सबसे बड़ा बैंक है।
- ❖ दिसम्बर 2015 के अंत तक हमारे बैंक के पास 1 क्वाचा प्रति शेयर के कुल 8,32,00,000 शेयर हैं, जिनका भारतीय मुद्रा में मूल्य रु. 47.48 करोड़ है।
- ❖ वर्ष के दौरान बैंक ने वर्ष 2014 के लिए लाभांश घोषित किया है तदनुसार हमारे बैंक ने यूएसडी 430,000/- लाभांश प्राप्त किया जो कि रु. 2,80,38,996/-के समान है।

iii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

दिनांक 31 मार्च, 2016 को हमारे 3 आरआरबी हैं, जिनका 3 राज्यों के 47 जिलों में 1629 शाखाओं का नेटवर्क है।

पुरस्कार एवं सम्मान

- ❖ वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंक ने “आरबीआई राजभाषा शील्ड योजना” में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- ❖ बैंक को आरसेटी कार्यकलापों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ❖ बैंक को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- ❖ वित्तीय समावेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी पहलों के लिए “बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड” में रनर अप श्रेणी से पुरस्कृत किया गया।



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचालन में नैतिक संव्यवहार से शोयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है। बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है। कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शोयरधारकों के शोयर मूल्य में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकाएं हैं।
- बैंक के इक्विटी शोयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है। हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अतः बैंक सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों को उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना 1970 एवं भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों, निदेशों इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा।
- इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए "सीजीआर 3+ (सीजीआर 3 प्लस उच्चारित) रेटिंग की पुनः अभिपुष्टि की है। इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि बैंक ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को अपनाया और उनका अनुपालन किया है, जिससे वह अपने वित्तीय स्टेकधारकों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उच्चस्तरीय गुणवत्ता से आश्चर्य कर सके।

निदेशक मंडल

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है। सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।
- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित द्वारा अधिशासित होता है।
- समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2015-16 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2016 को बैंक के धारित इक्विटी शोयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2016 को अन्य कंपनी कि निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2015 को अंतिम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
1.	श्री राजीव ऋषि	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.08.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईएफ आरएस, वीआईजी, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	- इन्डो ज़ाम्बिया बैंक लि. - इंडिया इन्फ़ास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लि.	जी हाँ
2.	श्री आर.के. गोयल.	कार्यपालक निदेशक	11.01.2013 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट्र बैंक होम फाइनेंस लि. - सेन्ट्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ
3.	श्री बी.के. दिवाकर	कार्यपालक निदेशक	23.01.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएसी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	- सेन्ट्र बैंक होम फाइनेंस लि. - सेन्ट्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	जी हाँ



क्र.	नाम	पद धारित	अवधि (से-तक)	दिनांक 31.03.2016 को बैंक के धारित इक्विटी शेयर की संख्या	विशेषज्ञता का क्षेत्र	दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की		दिनांक 31.03.2016 को अन्य कंपनी कि निदेशकता	क्या दि. 30 जून, 2015 को ऑनियम एजीएम की बैठक में उपस्थिति थी
						सदस्य	अध्यक्ष		
4.	श्री आर.सी. लोढ़ा	कार्यपालक निदेशक	11.03.2015 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी सीएससी, आईटीएस, एसआरसी, आईएफआरएस, सीएससी, एचआर, एमआरसी, सीआरसी	निरंक	निरंक	जी हां
5.	डॉ. सौरभ गर्ग	भारत सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक	19.02.2014 से	निरंक	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसीआरसी, वीआईजी, एमआरसी, एचआर	आरसी	दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ट्रस्ट	जी नहीं
6.	श्री शेखर भटनागर	भारिबैं द्वारा मनोनीत निदेशक	13.03.2014 से	निरंक	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरसी, वीआईजी	निरंक	निरंक	जी नहीं
7.	श्री एम.पी. शोरावाला	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	03.01.2013 से 02.01.2016	निरंक	वकील	एमसीबी, आरएमसी, आईटीएस, सीएससी, एचआर	आईटीएस	विश्व लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लि.	जी हां
8.	श्री कृष्ण सेठी	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	28.02.2013 से 27.02.2016	निरंक	व्यावसायिक	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, एसीबी	एसीबी	निरंक	जी हां
9.	श्री एस.बी. रोडे	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	02.04.2013 से	133	बैंकर	एमसी, एलवीएफसी सीएससी, एसआरसी	निरंक	निरंक	जी हां
10.	श्री गुरबख्श कुमार जोशी	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	10.07.2013 से	निरंक	बैंकर	एमसीबी, सीएससी, आईटीएस, एसआरसी	निरंक	निरंक	जी नहीं
11.	श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक	19.12.2013 से	निरंक	समाज सेवा	एसीबी, आरएमसी, एसआरसी, सीएससी, आरसी सीआईडब्ल्यूडी	निरंक	निरंक	जी हां
12.	श्री एस. बंदोपाध्याय	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.15 से	निरंक	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, आईटीसी, एसआरसी	निरंक	आईएलएंड एफएस लि.	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं
13.	श्री के. आर. पटेल	शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक	दिनांक 01.07.2015 से	163	व्यावसायिक	एमसीबी, एलवीएफसी, आईटीसी, एसआरसी, सीआईडब्ल्यूडी	निरंक	निरंक	एजीएम की तारीख को निदेशक नहीं

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालिक निदेशक हैं.

- एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
- एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
- एलवीएफसी - उच्च मूल्य की धोखाधड़ी संबंधी समिति
- सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
- आईटीएस - सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति



एसआरसी	-	स्टेकहोल्डर सम्बंध समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
आईएफआरएस	-	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक समिति
आईटीपीए	-	आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्श समिति
वीआईजी	-	सतर्कता समिति
सीएसी	-	ऋण अनुमोदन समिति
एचआर	-	मानव संसाधन समिति
एमआरसी	-	वसूली समिति की निगरानी
सीआरसी	-	पूँजी उगाही समिति

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियाँ, समझौते/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्ताव एवं वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है, दिनांक 31.03.2016 को इस समिति में 8 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक एवं 3 अन्य निदेशक, जिनमें 1 शेयर धारक द्वारा नामित निदेशक, कर्मकार कर्मचारी निदेशक तथा 1 अधिकारी कर्मचारी निदेशक शामिल हैं। अंशकालीन/कर्मकार निदेशकों का प्रत्येक छः माह में आवर्तन किया जाता है। निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 16 बैठकें आयोजित की गईं।

ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 में जोड़े गये नये खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 से निदेशक मण्डल की एक ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। रु. 400.00 करोड़ तक के ऋण प्रस्ताव, रु. 10.00 करोड़ तक के समझौता/बट्टे खाते, रु.15.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (ग्रामीण क्षेत्र), रु. 25.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (अर्धशहरी क्षेत्र), रु.50.00 लाख तक के प्रतिवर्ष (शहरी क्षेत्र) एवं रु.1.00 करोड़ तक के प्रतिवर्ष (मेट्रो क्षेत्र) के परिसर प्रस्ताव संबंधी बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करती है। वर्तमान समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, जोखिम प्रबंधन, ऋण, ऋण निगरानी एवं वसूली विभागों के प्रभारी महाप्रबंधकगण शामिल हैं। वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की 27 बैठकें आयोजित की गईं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालकनिदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक जिनमें कम से कम एक सनदी लेखाकार हैं। स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं होंगे। वर्ष के दौरानलेखापरीक्षा समिति की 15 बैठकें आयोजित की गयीं।

जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं.डीबीओडी नं.डीपी(एससी)बीसी/98/21.04.103/39 दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 एवं दिनांक 20.04.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/01/2002-03/3.2 तथा दिनांक 25.11.2002 को आयोजित बोर्ड बैठक की कार्यसूची सं. बीएम/09/2002-03/3.9 के अनुसार बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक एवं तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक एक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है। वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं।

पारिश्रमिक समिति एवं निदेशकों का पारिश्रमिक

- पूर्ण-कालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-1 दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया। इस समिति में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक एवं 2 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2014-15 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 25.05.2015 एवं 28.09.2015 को किया गया।



- गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों / गैर कार्यपालक निदेशकों को मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए रु. 20,000/- बैठक फीस एवं बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 10,000/- बैठक फीस का भुगतान किया जाता था. जो कि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. जुलाई 2015 के पूर्व निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 10,000/- एवं विभिन्न उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु. 5,000/- बैठक फीस देय थी. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक फीस का भुगतान नहीं किया जाता है.
- वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों के रूप में कुल निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:

सं	नाम	रु. लाख में
1.	श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29.64
2.	श्री राज कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	25.62
3.	श्री बी. के. दिवाकर, कार्यपालक निदेशक	23.15
4.	श्री आर. सी. लोढ़ा, कार्यपालक निदेशक	17.76

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 12,20,000/- (रुपये बारह लाख बीस हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए रु. 12,75,000/- (रुपये बारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

शेयरधारकों की संबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित शेयर बाजार के सूचीकरण करार के अनुपालन में, स्ट्रेकधारकों की संबंध समिति का गठन विशेष तौर पर शेयर धारकों, लाभांश धारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों सहित शेयर्स के अंतरण संबंधित, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रणाली को देखने के लिये किया गया है. वर्ष के दौरान, निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है. सामान्यतः निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई, सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान इस समिति की अध्यक्ष थीं. अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकों का प्रत्येक वर्ष के पश्चात आवर्तन किया जाता है. वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं :

वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक) के दौरान निवेशक शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	निरंक
2	शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होना	निरंक
3	लाभांश वारंट प्राप्त न होना	174
4	वार्षिक रिपोर्ट/ ईजीएम नोटिस प्राप्त न होना	43
5	धनवापसी आदेश प्राप्त न होना	7
6	धनवापसी लिखत में सुधार	निरंक
7	अन्य (एनएसई, बीएसई, सेबी)	12
8	प्राप्त कुल शिकायतें	236
9	देखी गयी / निपटाई गयी कुल शिकायतें	236
10	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण, बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार निर्गम बैंकर, मार्चेन्ट बैंकिंग एवं डिबेंचर ट्रस्टीशिप के अनुपालन अधिकारी के अलावा वे बैंक द्वारा जारी एवं स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों तथा अपरिवर्तनीय ऋण के साथ किए गए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.



सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को दिनांक 31 मार्च, 2016 को अधिमान आधार पर 3,14,41,088 इक्विटी शेयर्स का आबंटन करते हुए, रु.165.57 करोड़ (प्रीमियम सहित) की राशि जुटाई है। इन निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य टियर-I एवं टियर-II पूंजी बढ़ाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में अभिवृद्धि करना है। जुटाई गई निधियों का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बैंक ने दिनांक 30.03.2016 को प्रस्तावित इक्विटी का भारत सरकार के पक्ष में अधिमानी आबंटन कर पूंजी के अंतःप्रवाह हेतु रु.535/- करोड़ भारत सरकार से प्राप्त किए हैं, जिसे 'सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया शेयर आवेदन राशि खाता' नाम से खोले गए नये खाते में रखा गया है। बैंक ने दिनांक 28 मार्च 2016 के अपने पत्र के माध्यम से उपर्युक्त पूंजीगत निधि को दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार को आबंटन हेतु लंबित इक्विटी शेयर्स के समक्ष इसे सामान्य इक्विटी टियर 1(सीईटी 1) के भाग के रूप में मानने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगा है। जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 06 अप्रैल 2016 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

संप्रेषण के माध्यम :

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित; परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे। इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की 9वीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक : गुरुवार, दिनांक 30 जून, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चंद्रमुखी, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का 9वां माला।

1. यह साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबंधित है।
2. बही-बंदी की तारीख : दिनांक 25 जून, 2016 से 30 जून, 2016 (दोनों दिवस सहित)
3. वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कोई लाभांश की अनुशांसा नहीं की गई है।

साधारण बैठक बैठक :

सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	आठवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2015, पूर्वाह्न 11.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई-400056
2.	सातवीं वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 30 जून, 2014, पूर्वाह्न 11.00 बजे	-----तदैव-----
3.	छठी वार्षिक साधारण बैठक	दिनांक 29 जून, 2013, पूर्वाह्न 11.00 बजे	-----तदैव-----

आठवीं वार्षिक साधारण बैठक में, एक विशेष संकल्प पारित हुआ जिसके अनुसार, निदेशक मंडल एवं इसकी पूंजी उगाही समिति नामक समिति को रु. 5,000/- करोड़ (रु. पांच हजार करोड़ केवल) (प्रीमियम सहित, यदि हो तो) तक की पूंजी को इस प्रकार उगाहने हेतु शेयर धारकों की सहमति प्रदान करना था जिसमें बैंक की चुकता पूंजी में केन्द्र सरकार की धारिता कभी 51% से कम न हो।

पिछले वर्ष डाक के माध्यम से मतदान से कोई भी विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं थी तथा अगली एजीएम में पोस्टल मतपत्र के माध्यम से कोई संकल्प करना प्रस्तावित नहीं है।

**स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण :**

बैंक के शेयर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए जाते हैं. स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	CENTRAL BANK
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर-II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बॉण्ड्स-टियर-II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य	आईएसआईएन
लोअर टियर II - सीरीज XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
लोअर टियर II - सीरीज XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
लोअर टियर II - सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
लोअर टियर II - सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
लोअर टियर II - सीरीज I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
अपर टियर II - सीरीज II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
अपर टियर II - सीरीज III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
अपर टियर II - सीरीज IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
अपर टियर II - सीरीज V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
अपर टियर II - सीरीज VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
बासल III अनुपालित क्र. I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
कुल		5744.10	

ये सभी बॉण्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड

एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-400 078

टेली.: 022-25946970

फैक्स: 022-25946969

ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक से पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

9वीं मंजिल, चंद्रमुखी

नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021

संपर्क नं. 022- 6638 7818

फैक्स : 022- 2283 5198

ई-मेलआईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in



शेयर्स का डिमेटीरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डिमेटीरियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

दिनांक 31.03.2016 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण निम्नानुसार है :

	शेयरधारकों की संख्या	शेकार्स की संख्या	धारिता का %
भौतिक स्वरूप में	117	136616	0.01
एनएसडीएल	96685	310284777	18.36
सीडीएसएल*	54504	1379292876	81.63
कुल	151306	1689714269	100.00

* केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 1350827438 (79.94%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स:

सूचीकरण करार के खण्ड 5ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2016 को “अदावाकृत” में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं :

क्र सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	255	34,299
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों से शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया.	15	1080
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों से शेयर अंतरित किए गए.	15	1080
(iv)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेयरधारकों एवं शेयर्स की संख्या.	240	33,219

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है..

अनुलग्नक I

आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2015 -16 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27 मई, 2016

राजीव ऋषि,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



प्रमाण पत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है।

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस और / अथवा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 में निर्धारित शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है।

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन
(सीए एम.के.दूगड)
भागीदार
सदस्यता सं. 080077

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301075ई
(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 010534

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 321095ई
(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647 डब्ल्यू
(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301051ई
(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.052438

कृते पाठक एच.डी.एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू
(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली

तारीख : 13 मई 2016



दूगड़ एंड असोशिएट्स 13, कम्प्यूनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली - 110 065	एन. सरकार एंड कं. 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट द्वितीय तल कोलकाता - 700 072, पश्चिम बंगाल	बी.एन. मिश्रा एंड कं. एस-29, मैत्री विहार, फेज - II सत्यम डेवलपमेंट सेंटर के सामने भुवनेश्वर - 751 023 ओडिशा
चांदाभॉय एंड जस्सूभॉय 208, फीनिक्स हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 400013 महाराष्ट्र	लोद्दा एंड कं. 14 गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700 069, पश्चिम बंगाल	पाठक एच. डी. एंड असोशिएट्स 814-815, तुलसियानी चैम्बर्स 212 नरीमन प्वाइंट मुंबई - 400 021 महाराष्ट्र

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की दिनांक 31 मार्च, 2016 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2016 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, नोट्स तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में कुल 4728 शाखाओं एवं 59 क्षेत्रीय कार्यालयों में से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं, 24 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1958 शाखाओं की विवरणियां समाहित हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। इसके अलावा इनमें उन 2750 शाखाओं, 35 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 11.43%, जमाओं की 31.35%, ब्याज आय की 6.95% तथा ब्याज व्यय की 26.45% हिस्सेदारी है।

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

- इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई हैं एवं भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, के प्रति प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अंशसन प्रकट हो सके।
- एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है। इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर मत के प्रगटीकरण के उद्देश्य के बिना प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें। एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।
- हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है।

अभिमत

- बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में:
 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2016 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके।



- (बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किए गए लेखों में शेष हानि की सही स्थिति दर्शाता है एवं
(सी) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

विषय का महत्त्व

हम आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करना चाहते हैं :

- ए) अनुसूची 18 के नोट नं. 5.3 (I एवं II) के अंतर्गत उदय योजना के अनुसरण में विद्युत संचितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से सम्बंधित ऋण/बांड्स को एसडीएल बांड्स में अपरिकल्पित/कल्पित रूपांतरण किए जाने का प्रावधान है.
बी) अनुसूची 18 के नोट नं. 11(जी) के अंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों पर प्रावधान के लिए मान्य आस्थगित कर आस्तियां हैं.
सी) अनुसूची 18 के नोट नं. 5.4 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत भारतीय खाद्य निगम को प्रदत्त ऋण पर प्रावधान है.
डी) अनुसूची 18 के नोट नं. 5.5 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आस्ति गुणवत्ता समीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसरण में कुछ उधार खातों हेतु किया गया प्रावधान है.

उपर्युक्त विषय में हमारा अभिमत सापेक्ष नहीं है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

7. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की 29 वीं अनुसूची के अनुरूप तैयार किये गए हैं.
8. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :
(ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए.
(बी) हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं. एवं
(सी) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया.
9. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
(ए) इस रिपोर्ट में विचारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते बैंक की लेखा बहियों एवं विवरणियों से सुसंगत हैं.
(बी) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के लेखों की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई थी, जिन्हें इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने यथोचित सम्मिलित किया है.
(सी) हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन
(सीए एम.के.दूगड)
भागीदार
सदस्यता सं. 080077

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301075ई
(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 010534

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 321095ई
(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू
(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301051ई
(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.052438

कृते पाठक एच.डी. एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू
(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली

तारीख : 13 मई 2016



संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मे. डूगर एंड असोशियेट्स 13, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली - 110 065	मे. एन.सरकार एंड कं. 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट द्वितीय तल कोलकाता - 700 072 पश्चिम बंगाल	मे. बी.एन. मिश्रा एंड कं. एस-29, मैत्री विहार, फेज - II सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने भुवनेश्वर - 751 023 ओडीसा
मे. चांदाभाय एंड जस्सूभाय 208, फीनिक्स हाउस, ए विग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013	लोढा एंड कं. 14- गवर्नमेंट प्लेस ईस्ट कोलकाता - 700069 पश्चिम बंगाल	पाठक एच डी एंड असोशियेट्स 814-815 तुलसियानी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 4100021 महाराष्ट्र

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("दि बैंक") के दिनांक 31 मार्च, 2016 के संलग्न संक्षिप्त तुलनपत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त लाभ एवं हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण तथा उन पर टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों के नाम से संदर्भित किया गया है) की जांच है।

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ नं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा ये दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई हैं और हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट दिनांक 13 मई, 2016 में कवर की गई है।

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000561एन

(सीए एम.के.दूगड)
भागीदार
सदस्यता सं.080077

कृते चांदाभाय एण्ड जस्सूभाय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर.सं.301075ई

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं.010534

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.301051ई

(सीए आर.पी.सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं.052438

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं.083927

कृते पाठक एच.डी. एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी.चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं.015585

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2016



दिनांक 31 मार्च 2016 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त तुलन-पत्र

(000' छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	16,897,143	16,582,732
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	159,894,264	157,986,391
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		5,350,000	-
जमा राशियां	3	2,661,841,873	2,555,723,949
उधार राशियां	4	92,078,934	259,741,335
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	118,598,782	129,370,581
कुल		3,054,660,996	3,119,404,988
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा नकदी एवं शेष राशि	6	140,695,075	141,148,487
बैंकों में जमाराशियां और मांग व अल्प-सूचना पर राशि	7	14,715,384	6,954,343
निवेश	8	888,675,375	897,399,645
अग्रिम	9	1,800,095,880	1,884,775,325
अचल आस्तियां	10	43,592,873	28,331,615
अन्य आस्तियां	11	166,886,409	160,795,573
कुल		3,054,660,996	3,119,404,988
आकस्मिक देयताएं	12	768,034,422	908,926,711
संग्रहण हेतु बिल	-	118,375,835	110,608,049
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखांकन को नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशकबी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशकआर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशकराजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकस्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016



सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा
निदेशक

गुरबख्शा के.जोशी
निदेशक

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर.सं. 301075ई

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 321095ई

(सीए एम.के.दूगड)
भागीदार
सदस्यता सं. 080077

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 010534

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301051ई

कृते पाठक एच.डी.असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

(सीए आर.पी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2016



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का संक्षिप्त लाभ-हानि खाता (000' छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	258,878,971	264,087,794
अन्य आय	14	19,387,857	18,942,315
कुल		278,266,829	283,030,109
II. व्यय			
व्यय ब्याज	15	188,222,689	191,617,105
परिचालन खर्चे	16	63,614,691	55,821,792
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		37,606,149	29,526,730
कुल		289,443,529	276,965,627
पूर्वावधि की मदों के पूर्व वर्ष का लाभ / (हानि)		(11,176,700)	6,064,482
घटाएं: पूर्वावधि मदें		3,005,200	-
पूर्वावधि की मदों के पश्चात वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि)		(14,181,900)	6,064,482
लाभ आगे ले जाय गया		(10,227,726)	(13,038,008)
कुल		(24,409,626)	6,973,526
IV. विनियोजन			
को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षित		-	1,516,100
निवेश आरक्षित		925,930	538,300
विशेष आरक्षित 36(1)(viii) के अंतर्गत		-	-
स्टाफ कल्याण निधि		-	181,900
राजस्व आरक्षित		-	-
बीमा के रूप में निधि		-	20,000
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		-	829,100
लाभांश कर		-	168,800
तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष		(25,335,556)	10,227,726
ईपीएस (प्राथमिक एवं डाल्यूटेड)		(8.55)	4.27
प्रधान लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

उक्त फॉर्म की निर्देशित सूची, लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है।

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016



सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा
निदेशक

गुरबख्शा के.जोशी
निदेशक

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर.सं. 301075ई

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 321095ई

(सीए एम.के.दूगड)
भागीदार
सदस्यता सं. 080077

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 010534

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301051ई

कृते पाठक एच.डी.असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

(सीए आर.पी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2016



दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियां

1. तैयार करने का आधार :

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के आधार पर संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां हैं (इसके बाद इन्हें 'वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां' के नाम से संदर्भित किया गया है) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ.नं. 7/116.2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:

बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 'वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां' की अनुसूची 17 में सन्निहित हैं।

3. लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां:

लेखे एवं अन्य प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणियां वार्षिक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं। वर्ष के दौरान,

ए) परिसरों के पुनर्मूल्यांकित राशि पर मूल्यहास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया गया है, जबकि पूर्व में इसे पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को प्रभारित किया जाता था। तथापि, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से तदनुरूपी राशि रु. 24.30 करोड़ को समायोजित किया गया है और इसे राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

बी) बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों की रिपोर्ट एवं निदेशक मंडल द्वारा उसके अनुमोदन के आधार पर दिनांक 31.03.2016 के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए बैंक के परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में हुई रु. 1586.15 करोड़ की शुद्ध वृद्धि को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित राशि खाते में जमा कर दी गई है।

सी) पूर्वावधि मर्दे: कर्मचारी लाभों (पेंशन निधि) से संबंधित बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित प्रावधान रु. 300.52 करोड़ है।

डी) निम्नलिखित विषयों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकृष्ट किया जाता है :

- 1) उदय योजना (उज्ज्वल डिसकॉम एश्योरेंस योजना) के अनुसरण में विद्युत संवितरण कम्पनियों (डिसकॉम) को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक में 30 मार्च 2015 को डिसकॉम के बकाया देयों के निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी रुपए 9232 करोड़ के गैर एसएलआर एसडीएल बॉण्ड्स एवं रुपए 2538 करोड़ के राज्य सरकार गारंटीकृत डिसकॉम बॉण्ड्स अभिदत्त किए हैं। भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीबीआर.बीपी.नं.11657/21.04.132/2015-16 दिनांक 17 मार्च 2016 के साथ सहपठित स्पष्टीकरण दिनांक 21 अप्रैल, 2016 एवं दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार:

ए. एसडीएल बॉण्ड्स में संपरिवर्तन करने के लिए अकल्पित रुपए 3506.08 करोड़ के ऋणखंड /बॉण्ड्स के सबन्ध में रुपए 525.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बी. एसडीएल बॉण्ड्स में संपरिवर्तन किए जाने के लिए कल्पित रुपए 668.08 करोड़ के ऋण खंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सी. ऋणों के उचित मूल्य में हास हेतु रुपए 74.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

डी. दिनांक 31 मार्च, 2016 को बाजार भाव के आधार पर डिसकॉम एवं एसडीएल बॉण्ड्स के मूल्यों पर कोई हास नहीं होने के कारण कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

- 2) रुपए 1591.73 करोड़ के डिसकॉम ऋण के संबंध में (जिसमें पंजाब सरकार, डिसकॉम एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रुपए 1021.11 करोड़ के हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन शामिल हैं) यद्यपि संबंधित राज्य सरकार ने उदय योजना में सहभागिता की है परंतु बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 को उसे क्रियान्वित किया जाना शेष है। अतः उन्हें आईआरएसी के सामान्य मानदंडों के अनुसार मानकर वर्गीकृत किया



गया है. इन ऋणों के संबंध में उदय योजना के अनुसरण में आवश्यक समायोजन का निर्धारण और प्रभावन इसका कार्यान्वयन किए जाने पर किया जाएगा.

- 3) दिनांक 16 अप्रैल, 2016 को (कॉनसोर्टियम लीडर) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से प्राप्त पत्र में यथा सन्दर्भित भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीआरबी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण (एफसी) खाते एवं अन्य संबद्ध मुद्दों का नियमन लम्बित रहते एफसी के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा लिए गए रुपए 1274.80 करोड़ (एसबीआई द्वारा यथासूचित) के बकाया शेष के सम्बन्ध में 15% अर्थात् रुपए 191.22 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- 4) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भा.रि.बैं. द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसार कथित समीक्षा सन्दर्भित अग्रिमों के वर्गीकरण एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं के लिए रुपए 1727.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसे इन वित्तीय विवरणियों में प्रभावित किया गया है.

उपर्युक्त के अलावा, कोई टिप्पणी एवं प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

गुरुबग्छा के. जोशी
निदेशक

श्रीमती एन.एस. रत्नप्रभा
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल पटेल
निदेशक

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 13 मई, 2016



दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31- 03- 2016	31- 03- 2015
ए	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	(2,669.48)	890.40
I	के समायोजन हेतु :		
	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	239.43	229.24
	निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	850.61	(18.56)
	बट्टेखाते अशोध्य ऋण/अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधान	5,397.47	2,062.15
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(1,250.42)	586.95
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	314.76	38.18
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	(74.31)	0.64
	गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (पृथक माना गया)	-	696.03
	अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	(10.03)	(3.42)
	उप योग	2,798.03	4,481.61
II	के समायोजन हेतु :		
	जमा में वृद्धि (कमी)	10,611.80	15,503.40
	उधारों में वृद्धि/(कमी)	(16,766.24)	3,894.35
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(978.09)	1,744.77
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	4,320.89	(13,811.46)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	21.81	(9,273.39)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	1,246.79	669.03
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	(946.83)	(959.85)
	उप योग	(2,489.87)	(2,233.15)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह (ए)	308.16	2,248.46
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	117.07	815.15
	अचल आस्तियों की खरीद	(305.97)	(1,099.77)
	सहयोगी/अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश	10.03	3.42
	सहयोगी/अनुषंगियों में निवेश	-	(46.83)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(178.87)	(328.03)



दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की नकद प्रवाह विवरणा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31- 03- 2016	31- 03- 2015
सी	वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	शेयर पूंजी	700.57	1,207.85
	गौण ऋण की प्राप्तियां /पुनः प्राप्ति टियर II पूंजी	-	-
	अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर्स	(82.91)	-
	लाभांश कर	(16.18)	-
	गौण कर्ज पर ब्याज	-	(696.03)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	601.48	511.82
डी	नकद एवं नकद तुल्य (ए + बी + सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि	730.77	2,432.25
ई	वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
	नकद एवं भारिबैं में शेष	14,114.85	11,926.63
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	695.43	451.40
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,810.28	12,378.03
एफ	वर्ष की समाप्ति में नकद एवं नकद समकक्ष		
	नकद एवं भारिबैं में शेष	14,069.51	14,114.85
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	1,471.54	695.43
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	15,541.05	14,810.28

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016



सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

सुप्रतिम बंद्योपाध्याय
निदेशक

केतुल आर. पटेल
निदेशक

श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा
निदेशक

गुरबख्शा के.जोशी
निदेशक

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर.सं. 301075ई

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 321095ई

(सीए एम.के.दूगड)
भागीदार
सदस्यता सं. 080077

(सीए जी. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 010534

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू

कृते लोढा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301051ई

कृते पाठक एच.डी.असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

(सीए आर.पी. सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 052438

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 13 मई, 2016



दूगड़ एंड असोशिएट्स 13, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली - 110 065	एन. सरकार एंड कं. 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, द्वितीय तल कोलकाता - 700 072 पश्चिम बंगाल	बी.एन. मिश्रा एंड कं. एस-29, मैत्री विहार, फेस - II सत्यम डवलपमेंट सेंटर के सामने भुवनेश्वर - 751 023 (ओडिसा)
चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय 208, फीनिक्स हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 400013 (महाराष्ट्र)	लोढ़ा एंड कं. 14 गवर्नमेंट प्लेस पूर्व, कोलकाता-700069 प. बंगाल	पाठक एच.डी. एंड असोशिएट्स 814-815, तुलसियानी चैम्बर्स, 212, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021 (महाराष्ट्र)

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण :

- हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ("द बैंक"), इसकी अनुषंगियों और एसोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें "समूह" के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं उस वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (इसके पश्चात इन्हें "समेकित वित्तीय विवरणियाँ" से संबोधित किया गया है) शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित है :
 - हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (द बैंक) के लेखापरीक्षित लेखे.
 - अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों के लेखांकित खाते एवं 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लेखापरीक्षित खाते,
 - नौ माह की अवधि के लिए एक एसोशिएट्स का अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए उक्त असोशिएट के अलेखापरीक्षित लेखे.

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

- प्रबंधन इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य- निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती हैं, तथा जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा "इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ़ इंडिया" द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके
- एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. उन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक, प्रदत्त परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण हेतु, उन समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण में बैंक की तैयारी से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करता है. लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है
- हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य एवं नीचे पैरा 6 में "अन्य मामलों" में सन्दर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारे सशर्त लेखा परीक्षा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं.

अभिमत

- हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा अनुषंगियों व एसोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की नीचे दी गई रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर ये समेकित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं:
 - समेकित तुलन-पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2016 को समूह के क्रियाकलापों की स्थिति,
 - समेकित लाभ-हानि खाता के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि; एवं
 - समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

- हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - उदय योजना के अनुसरण में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कं. (डिस्कॉम) संबंधी ऋणखंड /बॉण्ड्स को एसडीएल बॉण्ड्स में कल्पित/ अकल्पित संपरिवर्तन के प्रावधान संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 4.5.3 (I एवं II);



- (ii) भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के अग्रिमों पर प्रावधान संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 4.5.4;
- (iii) भा.रि.बैं. से प्राप्त आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के दिशानिर्देशों के अनुसरण में कुछ उधार खातों के लिए किए गए प्रावधान संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं.4.5.5 बनाया गया है.
- (iv) गैर निष्पादक आस्तियों पर प्रावधान पर आस्थगित कर आस्तियों के संबंधी अनुसूची 18 के नोट सं. 5.7.1;
- (v) आवास वित्त पोषण कम्पनियों द्वारा बनाए गए विशिष्ट आरक्षित निधि पर एक अनुषंगी द्वारा आस्थगित कर देयता की पहचान के संबंध में अनुसूची 18 के नोट सं. 5.7.2.
- इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है.

6. अन्य मामले

- (i) हमने (i) दो अनुषंगियों, जिनकी वित्तीय विवरणियों में दिनांक 31 मार्च, 2016 को कुल आस्तियां रु.1,251.11 करोड़ तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.125.70 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह रु.17.49 करोड़ दर्शाया गया है; तथा (ii) एक एसोशिएट का उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु. 43.89 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी रु. 8.78 करोड़) दर्शाया गया है. ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं तथा जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, तथा हमारी राय उन अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णतः आधारित है. इस मामले में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है.
- (ii) तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय विवरणियां, जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है, का दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु. 16.59 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी रु. 5.81 करोड़) दर्शाई गई है. हमारी रिपोर्ट इन तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित है. उपर्युक्त मामलों में हमारा अभिमत सापेक्ष नहीं है.

7. अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- (i) तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किए गए हैं;
- (ii) उपर्युक्त पैरा 1 से 3 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अर्जन) अधिनियम, 1970 की आवश्यकताओं तथा उनमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
- ए) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे अभिमत एवं संपूर्ण विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें सतोषजनक पाया है;
- बी) हमारे संज्ञान में आए बैंक के लेनदेन, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं. और;
- सी) प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुपूरक के रूप में बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गई हैं.
- (iii) इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- (ए) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते, खाता बहियों एवं विवरणियों के संगत है;
- (बी) बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत की गई बैंक की शाखाओं की लेखापरीक्षा की लेखा रिपोर्टें हमें प्रेषित की गई हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इसका यथोचित उपयोग किया है;
- (सी) हमारे अभिमत में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणी, लागू लेखांकन मानकों से अनुपालित हैं.

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.000561एन

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.301075ई

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं.321095ई

(सीए मुकुल मारवाह)
भागीदार
सदस्यता सं.511239

(सीए एम.रे)
भागीदार
सदस्यता सं.012940

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं.083927

कृते चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.101647डब्ल्यू

कृते लोढा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.301051ई

कृते पाठक एच.डी. एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं.107783डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं.049289

(सीए प्रशांत खंडेलवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.056652

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 27 मई, 2016



संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

दूगड़ एंड असोशियेट्स 13, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली - 110 065	एन. सरकार एंड कं. 21, प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट द्वितीय तल कोलकाता - 700 072 पश्चिम बंगाल	बी.एन. मिश्रा एंड कं. एस-29, मैत्री विहार, फेज - II सत्यम डेवलपमेंट सेंटर के सामने भुवनेश्वर - 751 023 ओडीसा
चान्दाभाँय एंड जस्सूभाँय 208, फीनिक्स हाउस, ए विंग, 462, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 400013 महाराष्ट्र	लोढ़ा एंड कं. 14, गवर्नमेंट प्लेस पूर्व कोलकाता - 700069 पश्चिम बंगाल	पाठक एच.डी. एंड असोशियेट्स 814-815, तुलस्यानी चैम्बर्स 212, नरीमन पॉइन्ट मुम्बई - 400021 महाराष्ट्र

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया एवं इसकी अनुषंगियों एवं सहयोगियों (सामूहिक रूप से इन्हें 'समूह' के रूप में माना गया है) के दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के संक्षिप्त समेकित लाभ एवं हानि खाता तथा उनके साथ संलग्न टिप्पणियों (इसके बाद इन्हें संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियों के नाम से सम्बोधित किया गया है) की जांच की गई.

बैंक द्वारा ये संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियां वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफ.नं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में तैयार की गई हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों पर आधारित हैं, इंस्टिट्यूट ऑफ़ चाार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरणियां' एवं लेखांकन मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणियों में असोशिएट्स में निवेशों का लेखांकन' की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक द्वारा तैयार किए गए हैं और दिनांक 27 मई, 2016 को बैंक के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट में कवर किया गया है, जो इसके साथ संलग्न है.

कृते दूगड़ एंड असोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000561एन

(सीए मुकुल मारवाह)
भागीदार
सदस्यता सं. 511239

कृते चान्दाभाँय एंड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 101647डब्ल्यू

(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते एन. सरकार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -301075ई

(सीए एम.रे)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते लोढ़ा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 301051ई

(सीए प्रशांत खंडेलवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 056652

कृते बी.एन. मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 321095ई

(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते पाठक एच.डी. एंड असोशियेट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 107783डब्ल्यू

(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

स्थान : मुंबई
दिनांक: 27 मई, 2016



दिनांक 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन-पत्र

(000 'छोड़कर)

विवरण	अनुसूची सं	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	16,897,143	16,582,732
प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	162,828,564	160,766,951
अल्पसंख्यक हित	2ए	350,698	327,308
शेयर आवेदन राशि आबंटन लंबित		5,350,000	-
जमा राशियां	3	2,666,863,037	2,559,415,992
उधार राशियां	4	95,031,181	260,985,873
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	118,890,830	129,579,267
कुल		3,066,211,453	3,127,658,123
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	6	140,702,036	141,163,743
बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि	7	14,994,534	7,216,549
निवेश	8	890,866,809	899,214,016
ऋण एवं अग्रिम	9	1,808,951,840	1,890,675,267
अचल आस्तियां	10	43,601,348	28,340,606
अन्य आस्तियां	11	167,005,990	160,959,046
समेकन पर गुडविल		88,896	88,896
कुल		3,066,211,453	3,127,658,123
आकस्मिक देयताएं	12	768,034,422	908,932,783
संग्रहण हेतु बिल		118,375,835	110,608,049
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		-
लेखांकन को नोट	18		

उक्त संदर्भित अनुसूची तुलनपत्र का अनिवार्य भाग है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशकबी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशकआर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशकराजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 27 मई, 2016



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 'छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	259,876,567	264,759,775
अन्य आय	14	19,444,718	19,003,942
कुल		279,321,285	283,763,717
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	188,892,984	191,996,537
परिचालन व्यय	16	63,776,909	55,966,419
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		37,708,130	29,617,806
कुल		290,378,023	277,580,762
III. लाभ/हानि			
अल्यांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद के पूर्व, वर्ष का मूल एवं अनुषंगियों का समेकित शुद्ध लाभ / (हानि)		(11,056,738)	6,182,955
घटायें: पूर्वावधि मद		(3,004,923)	-
घटायें : अल्यांश ब्याज		(47,853)	(43,094)
अल्यांश ब्याज एवं पूर्वावधि मद को घटाने के पश्चात, वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ / (हानि)		(14,109,514)	6,139,861
जोड़ें: असोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		145,863	520,731
समूह के लिए स्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ		(13,963,651)	6,660,592
जोड़ें: समूह के स्रोतजन्य वर्ष का आगे लाया गया समेकित लाभ		(7,389,809)	(10,718,733)
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		(21,353,460)	(4,058,141)
IV. विनियोजन			
निम्न को अंतरण :			
सांविधिक आरक्षित निधि		10,000	1,516,100
निवेश आरक्षित निधि		925,930	538,300
राजस्व आरक्षित निधि		9,541	9,300
कर्मचारी कल्याण निधि		-	181,900



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता

(000 'छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	समाप्त वर्ष 31.03.2016	समाप्त वर्ष 31.03.2015
बीमा के स्थान पर निधि		-	20,000
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी शेयर पूंजी		-	-
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी शेयर पूंजी		-	829,100
लाभांश पर कर		17,849	177,693
धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित		28,710	36,220
एनएचबी के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट निधियों पर डीटीएल का विनियोजन		21,128	21,128
कम्पनी अधिनियम के अनुसार सीएसआर निधियाँ		2,456	1,927
तुलन पत्र में लाया गया शेष		(22,369,074)	(7,389,809)
कुल		(21,353,460)	(4,058,141)
प्रति शेयर आय (₹ में) - मूल		(8.42)	4.69
प्रति शेयर आय (₹ में) - डाल्यूटेड		(8.42)	4.69
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा की टिप्पणियां	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का आवश्यक भाग है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27 मई, 2016



दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

1. **तैयार करने का आधार :**
दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए संक्षिप्त समेकित वित्तीय विवरणियाँ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एफनं.7/116/2012-बीओए दिनांक 1 अगस्त, 2012 की अधिसूचना के अनुसरण में बैंक, इसकी दो अनुषंगियों की लेखापरीक्षित एवं चार एसोशिएट्स की अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर (इसके बाद इन्हें 'समेकित वित्तीय विवरणियाँ' के नाम से संबोधित किया जाएगा.) तैयार की गई हैं।
2. **महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :**
समेकित खाते तैयार करने के आधार सहित बैंक की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 'समेकित वित्तीय विवरणियों' की अनुसूची 17 में सन्निहित हैं।
3. **लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से सम्बंधित टिप्पणियाँ :**
लेखों एवं अन्य प्रकटीकरण से सम्बंधित टिप्पणियाँ समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 में दी गई हैं। तथापि, लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों में ध्यान आकर्षित करने सम्बंधी टिप्पणियाँ एवं प्रकटीकरण निम्नलिखित पैरा 5 से 9 में दिए गए हैं।
4. एक एसोशिएट अर्थात् इंडो जाम्बिया बैंक लि. का लेखा वर्ष, कैलेंडर वर्ष है। तथापि शेषों में लाभ को 9 माह के लिए लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लिया गया है और 3 माह के लिए अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर लिया है।
5. उदय योजना (उज्ज्वल डिसकॉम एश्योरेंस योजना) के अनुसरण में विद्युत संवितरण कम्पनियों (डिसकॉम) को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक में 30 मार्च 2015 को डिसकॉम के बकाया देयों के निपटान के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी रूपए 9232 करोड़ के गैर एसएलआर एसडीएल बॉन्ड्स एवं रूपए 2538 करोड़ के राज्य सरकार गारंटीकृत डिसकॉम बॉन्ड्स अभिदत्त किए हैं। भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीबीआर.बीपी. नं.11657/21.04.132/2015-16 दिनांक 17 मार्च 2016 के साथ सहपठित स्पष्टीकरण दिनांक 21 अप्रैल, 2016 एवं दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार:
ए. एसडीएल बॉन्ड्स में संपरिवर्तन करने के लिए अकल्पित रूपए 3506.08 करोड़ के ऋणखंड /बॉन्ड्स के सम्बंध में रूपये 525.90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बी. एसडीएल बॉन्ड्स में संपरिवर्तन किए जाने के लिए कल्पित रूपए 668.31 करोड़ के ऋण खंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
सी. ऋणों के उचित मूल्य में हास हेतु रूपए 74.51 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
डी. दिनांक 31 मार्च, 2016 को बाजार भाव के आधार पर डिसकॉम एवं एसडीएल बॉन्ड्स के मूल्यों पर कोई हास नहीं होने के कारण कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।
6. रूपए 1591.73 करोड़ के डिसकॉम ऋण के संबंध में (जिसमें पंजाब सरकार, डिसकॉम एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रूपए 1021.11 करोड़ के हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन शामिल है) यद्यपि संबंधित राज्य सरकार ने उदय योजना में सहभागिता की है परंतु बैंक द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2016 को उसे क्रियान्वित किया जाना शेष है। अतः उन्हें आईआरएसी के सामान्य मानदंडों के अनुसार मानकर वर्गीकृत किया गया है। इन ऋणों के संबंध में उदय योजना के अनुसरण में आवश्यक समायोजन का निर्धारण और प्रभावन इसका कार्यान्वयन किए जाने पर किया जाएगा।
7. दिनांक 16 अप्रैल, 2016 को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (कॉन्सोर्टियम लीडर) से प्राप्त पत्र में यथा सन्दर्भित भा.रि.बैं. के पत्र सं. डीआरबी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 12 अप्रैल, 2016 के अनुपालन में पंजाब सरकार द्वारा लिए गए खाद्य ऋण (एफसी) खाते एवं अन्य संबद्ध मुद्दों का नियमन लम्बित रहते, एफसी के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा लिए गए रूपए 1274.80 करोड़ (एसबीआई द्वारा यथासूचित) के बकाया शेष के सम्बंध में 15% अर्थात् रूपए 191.22 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
8. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत भा.रि.बैं. द्वारा की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के अनुसार कथित समीक्षा सन्दर्भित अग्रिमों के वर्गीकरण एवं उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आवश्यकताओं के लिए रूपए 1727.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे इन वित्तीय विवरणियों में प्रभावित किया गया है।
9.1 प्रमुख प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं एवं सीईटी 1 की गणना हेतु आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) के संबंध में भा.रि.बैं. के संशोधनों को ध्यान में रखते हुए समयांतराल के समक्ष प्रबंधतंत्र के संभावित कर लाभ पर आधारित समीक्षा के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर आस्तियों के रूप में रूपए 1088.28 करोड़ अभिचिन्हित किए गए हैं।
9.2 सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. ने राष्ट्रीय आवास बैंक दिशानिर्देश एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/नीति परिपत्र 65/2014-15 के अनुसरण में लाभ हानि विनियोजन के माध्यम से रूपए 2.11 करोड़ एवं रूपए 0.98 करोड़ (पिछले वर्ष रूपए 2011 करोड़ एवं रूपए 0.89 करोड़) कुल मिलाकर विशेष आरक्षित निधियों पर रूपए 3.09 करोड़ की आस्थगित कर देयता निर्मित की है।



10. असाधारण / पूर्वावधि मदे:- कर्मचारी लाभ (पेंशन निधि) के संबंध में बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर पिछले वर्षों के संबंध में मूल बैंक ने रुपए 300.52 करोड़ का प्रावधान किया है.
11. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनर्समूहित /पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशक

बी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशक

आर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक

राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सौरभ गर्ग
निदेशक

शेखर भटनागर
निदेशक

गुरवर्खा के. जोशी
निदेशक

श्रीमती एन.एस.रत्नप्रभा
निदेशक

सुप्रतिम बंडोपाध्याय
निदेशक

कृते दूगड एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 000561एन
(सीए मुकुल मारवाह)
भागीदार
सदस्यता सं. 511239

कृते एन.सरकार एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर.सं. 301075ई
(सीए एम. रॉय)
भागीदार
सदस्यता सं. 012940

कृते बी.एन. मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 321095ई
(सीए बी.एन.मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता सं. 083927

कृते चांदाभाँय एण्ड जस्सूभाँय
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 101647डब्ल्यू
(सीए अम्बेश ए. दवे)
भागीदार
सदस्यता सं. 049289

कृते लोढ़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ. आर. सं. 301051ई
(सीए प्रशांत खंडेलवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 056652

कृते पाठक एच.डी. एन्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ. आर सं. 107783डब्ल्यू
(सीए बी.पी. चतुर्वेदी)
भागीदार
सदस्यता सं. 015585

स्थान : मुंबई
दिनांक : 27 मई, 2016



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31- 03- 2016	31-03-2015
ए परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	(2,651.15)	909.93
I समायोजन हेतु :		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	239.79	229.62
निवेशों पर मूल्यहास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	850.61	(18.56)
गैर अपलिखित कर्ज/ अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	5,399.92	2,061.98
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(1,247.97)	588.55
अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	314.76	38.18
आयकर पर ब्याज (शुद्ध)	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	(74.32)	0.64
गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (पृथक माना गया)	-	696.03
निवेश की पुनर्भुनाई पर हानि	-	-
जेएनवाई कूपन पर ब्याज	-	-
उप योग	2,831.64	4,506.37
II निम्न के समायोजन हेतु :		
जमा में वृद्धि/(कमी)	10,744.70	15,597.07
उधारों में वृद्धि/(कमी)	(16,595.47)	3,962.03
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(965.22)	1,853.26
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	4,020.39	(13,963.45)
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(30.48)	(9,379.63)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	1,246.10	665.80
प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी की शुद्ध राशि आदि)	(970.37)	(967.74)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	(2,550.35)	(2,232.66)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	281.29	2,273.71
बी निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	157.35	815.27
अचल आस्तियों की खरीद	(306.32)	(1,100.11)
सहयोगी/आरआरबी में निवेश	-	(46.83)
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	(148.96)	(331.67)



31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31- 03- 2016	31-03-2015
सी वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी	700.57	1,207.85
लाभांश - अंतरिम लाभांश सहित इक्विटी शेयर	(84.25)	(1.34)
लाभांश कर	(17.03)	(0.81)
जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	-	-
गौण कर्ज पर ब्याज	-	(696.03)
वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	599.29	509.67
डी नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि	731.62	2,451.71
ई वर्ष के प्रारंभ में नकद तथा नकद तुल्य		
नकद एवं भारिबै में जमा शेष	14,116.37	11,926.63
बैंक में जमा शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर धन	721.66	459.69
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य	14,838.03	12,386.32
एफ वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य		
नकद एवं भारिबै के साथ शेष	14,070.20	14,116.37
बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	1,499.45	721.66
वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समतुल्य	15,569.65	14,838.03

उपर्युक्त संदर्भित लाभ एवं हानि खाते का आवश्यक भाग है

आर.सी. लोढ़ा
कार्यपालक निदेशकबी.के. दिवाकर
कार्यपालक निदेशकआर.के. गोयल
कार्यपालक निदेशकराजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 27 मई, 2016

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of Indiaसेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

9वीं वार्षिक सामान्य बैठक

पत्रा सं. या डीपी आईडी # /प्राहक आईडी #	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____
 जिला _____ राज्य _____ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से
 श्री/सुश्री _____
 निवासी _____
 जिला _____ राज्य _____ को अथवा उसकी अनुपस्थिति
 में श्री/सुश्री. _____ निवासी _____ जिला
 _____ राज्य _____

को गुरुवार, 30 जून, 2016 पूर्वाह्न 11.00 बजे, स्थान: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय की 9वीं मंजिल में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 9वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ वर्ष 2016 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

कृपया
रेवेन्यू स्टैप
चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

(स्पष्ट अक्षरों में)

पता _____



प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
(ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
(सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे, यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, अश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं मानी जाएगी, जब तक कि वह विधिवत स्टेम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 24 जून, 2016 को सायं: 5.00 बजे, क्योंकि इसके उत्तरवर्ती कार्य दिवस शनिवार, 25 जून, 2016 को छुट्टी है, से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ़ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ़ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी काट-छांट पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र "फार्म बी" में न होने पर वैध नहीं माना जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

वार्षिक सामान्य बैठक - गुरुवार, 30 जून, 2016 पूर्वाह्न 11.00 बजे

पंजीकृत पत्रा / डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी/ शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम एवं पता (स्पष्ट अक्षरों में)	
संयुक्त धारक	
उपस्थित प्रॉक्सीधारक/ प्रतिनिधि का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) (यदि कोई हो)	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिन और दिनांक	गुरुवार, 30 जून, 2016
स्थान	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरिमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

वार्षिक सामान्य बैठक - गुरुवार, 30 जून, 2016 पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान: सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

पंजीकृत पत्रा क्रमांक या डीपी आईडी / ग्राहक आईडी / शेयरों की संख्या	
सदस्य का नाम	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि/
का नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें। प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे। तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा। किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।



CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE

Dear Shareholder,

The Financial Year 2015-16 has been a year of consolidation as well as challenges for the Bank. Growth has been moderated to align it with the market scenario. The Bank strategized its focus on business segments like Agriculture, SME & Retail Advances, which has started yielding results during the year.

Signals from the global economy continued to be muted in the year 2015-16. The lacklustre of growth of 1% of US economy in the last quarter of 2015, a mere 0.3% growth in Eurozone mainly because of the low growth in Germany and France, and shrinking of Japanese economy are the disappointing signs of the global economic trend.

Notwithstanding such a bleak external scenario and successive poor monsoons, Indian economy offered reasons to cheer up. Inflation was under control. The CPI-New Series inflation has been around 5.50% and WPI has been negative as a result of fall in international oil and other commodity prices. The Current Account Deficit has been at comfortable levels, Forex Reserves have risen to such levels which are well above reserve adequacy norms. The economic policy interventions initiated by the Government of India like Power Sector reforms through UDAY scheme, Make in India Mission, Smart Cities Mission etc., would certainly add colour to our economic growth story.

Banks in India, especially PSBs, continue to face the vagaries of economic downturn, despite the signs of hope discussed above. Asset Quality continues to be the major cause of worry.

Our Bank, with its pan-India presence accentuated by a huge network of branches and ATMs has drawn up realistic business goals and strategies, which would certainly enable us to capitalize on the positive economic indicators of the country.

During the Financial Year 2015-16, Business of the Bank increased to ₹ 4,56,337 crore from ₹ 4,50,539 crore in Financial Year 2014-15 registering a Y-o-Y growth of 1.29%. The Deposit of the Bank has grown by 4.15% however Credit has declined by 2.47%. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 35.48% as against 34.05% in Financial Year 2014-15. To ensure profitable growth in Business, **High Cost Deposits** have been shed considerably. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 5.56% as on Mar-2016 from as high as 10.73% as on March-2015. This is well reflected in growth of Aggregate Core Deposits at 10.19 %.

The operating profit of the Bank reduced to ₹ 2643 crore from ₹ 3559 crore in Financial Year 2014-15. Further, Bank posted Net loss of ₹ 1418 crore as against a Net profit of ₹ 606 crore in previous year.

The Bank's Cost of Deposits reduced to 6.86% from 7.22% in Financial Year 2014-15, the Net Interest Income of the Bank reduced to ₹ 7066 crore from ₹ 7247 crore in Financial Year 2014-15 registering a decline of 2.50%. The Other Income or Fee – based Income of the Bank has increased to ₹ 1939 crore from ₹ 1894 crore in Financial Year 2014-15.

Asset Quality has been the concern of the Bank for last couple of years. The percentage of Gross NPA to Gross Advances increased to 11.95% from 6.09% in Financial Year 2014-15 and percentage of Net NPA to Net Advances increased to 7.36% from 3.61% in Financial Year 2014-15. This is on account of stress in some sectors like Infrastructure,



Textiles, Iron & Steel, Engineering & Manufacturing, Gems & Jewellery etc. Your Bank has been proactive in respect of NPA Management and shall continue its effort to reduce the NPA level.

Bank is fully engaged in inclusive growth through various Financial Inclusion initiatives to reach 'the last mile' of economy. The **Direct Benefit Transfer (DBT)** programme of the government is being implemented in various districts out of which we are lead bank in 51 districts in 7 states. Further progress in these districts and in new districts will be made during the FY-2016-17. This programme paves the way for the Bank to canvass more CASA Deposits and also for Credit Expansion. Further, Bank has successfully implemented 'Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna' and have opened 74.18 lac accounts as on 31st March, 2016.

A Bank with 4728 branches as on March 2016, of which 2/3 rd of the Branches are in rural and semi urban areas and 3677 Ultra Small Branches shall continue to position itself as a **Retail Bank**. Your Bank shall be ensuring that the retail and priority sector portfolios grow much faster than they have been so far.

I am happy to present the Annual Report of the Bank for the year ended 31st March 2016.

With best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

Rajeev Rishi

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016



NOTICE

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the shareholders of Central Bank of India will be held on Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 A.M. on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 to transact the following business :

- 1) To discuss, approve and adopt the Audited Stand Alone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2016, Stand Alone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2016, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2) **To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.**

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following as special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “Board”) which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares upto the value of ₹ 3,000/- crore (Rupees Three Thousand Crore Only)(including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“SEBI ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central



Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations:

- A) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.”
- B) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”



“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

A K DAS

**Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**

Place : Mumbai
Date : 27.05.2016

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday.

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is enclosed with this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / Authorised Representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as “Proxy or Authorised Representative” as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.



7. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 25th June, 2016 (Saturday) to 30th June, 2016 (Thursday) (both days inclusive).

8. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

9. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

10. Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report to the Meeting.

11.1 Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

However, if you are still interested in holding the shares in physical form and not opting for demat, please provide us with the following Bank details to enable us to credit your Account with the dividend (as and when declared) directly.

- Name of the Bank
- Address of the Branch
- Bank Account Number
- 9 digit MICR code of the branch
- IFSC code of the Branch

(preferably, send us a cancelled cheque/ copy of a cheque leaf).

Please note that the bank Account should be in the name of the 1st holder of shares.

11.2 Intimation to shareholders holding shares in dematerialised form:

It is our constant endeavor to provide the best services to our valued shareholders. We observe that there are some shareholders who are holding shares in demat form but have not registered/updated their Bank account details with their Depository Participants (DPs) for getting Dividend amount directly credited to their Bank accounts. Accordingly, Dividend declared earlier, was paid to them by sending Dividend Warrant (DW) to the addresses maintained by them with Depositories.

It is worth noting that if such shareholders had registered / updated their Bank Account particulars with their DPs, the Dividend Amount would have been credited directly to their bank account thus, ensuring faster receipt of Dividend right on due date, saving time spent on receiving dividend warrant by post, no requirement for visiting bank for depositing the Dividend Warrant, non-apprehension of loss / theft of dividend warrant in transit or the likelihood of fraudulent encashment thereof.

We accordingly suggest these shareholders to register/ update their Bank Account details i.e. Bank Name, Branch Address, Account No., Account Type, Nine Digit MICR Code Number as appearing on cheque issued by their banks, with their Depository Participant with whom they are maintaining their Demat Account, to facilitate credit of dividend



amount (as and when declared) directly to their Bank accounts right on due date. In addition to this, they may also send directly to the Bank or its RTA namely, Link Intime India Pvt. Limited abovesaid bank details with mandate to credit all future dividend amounts, refund amounts or other remittances, if any, to their bank accounts instead of sending any Dividend warrant, cheque, Demand Draft , etc.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / or have not received dividend for any of the previous years are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent or the Bank for arranging payment thereof directly to their Bank A/c or for issue of duplicate dividend warrant/Demand Draft.

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.**

13. Voting through electronic means

I. In compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate remote e-voting.

The process and instructions for remote e-voting are as under :

- (i) The remote e-voting period begins on Monday, 27th June 2016 at 10.00 AM and ends on Wednesday, 29th June 2016 at 05.00 PM. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 24th June 2016, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.



- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company/entity on which they are eligible to vote, provided that company/entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for the relevant <Company Name> on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (ix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- II. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date i.e. 24th June 2016. However, in terms of the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- III. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. 24th June, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting/poll at AGM.
- IV. Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 24th June, 2016, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.



- V. A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and the website of CDSL.
- VI. Shri Ankur Kumar of EZY Laws, Advocates & Corporate Legal Advisors has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- VII. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three (3) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- VIII. The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of CDSL within two (2) days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.



EXPLANATORY STATEMENT

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.25% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 8.25% and overall CRAR of 10.25% by March 31, 2016. To comply with the Basel III requirement, future expansion plans of the Bank and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the growth estimates your Directors have decided to raise equity capital up to ₹ 3000 crore (Rupees Three Thousand Crore) and the Bank may use equity capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placements and/ or any other mode(s) subject to approval of Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities and in accordance with all applicable regulations including the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be , pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;
- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

The Directors of the Bank may be deemed to be concerned with or interested in the resolution to the extent of their shareholding in the Bank in their individual capacity.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

A K DAS

**Assistant General Manager-MBD/
Company Secretary**

Place : Mumbai
Date : 27.05.2016



TOTAL BUSINESS										
(₹ in Crores)										
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16
Total Business	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272	4,23,390	4,50,539	4,56,337
YoY Growth		35.48 %	18.10 %	23.49 %	15.43 %	11.63 %	15.96 %	5.25 %	6.41 %	1.29 %
Total Deposits	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038	2,40,069	2,55,572	2,66,184
YoY Growth		33.28 %	18.99 %	23.49 %	10.64 %	9.38 %	15.22 %	6.21 %	6.46%	4.15 %
Total Loans & Advances	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234	1,83,321	1,94,967	1,90,152
YoY Growth		38.88 %	16.76 %	23.49 %	22.67 %	14.70 %	16.92 %	4.02 %	6.35%	(2.47 %)
Investments	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662	86,384	95,655	89,895
YoY Growth		12.43 %	36.14 %	17.02 %	5.46 %	8.62 %	21.96 %	18.88 %	10.73%	(6.02 %)
CD Ratio	64.62 %	67.34 %	66.08 %	66.08 %	73.27 %	76.83 %	77.97 %	76.36 %	76.29	71.44
Return on Assets	0.62 %	0.54 %	0.45 %	0.66 %	0.70 %	0.26 %	0.44 %	(0.47 %)	0.21%	(0.48 %)

PROFITABILITY										
(₹ in Crores)										
PARAMETERS	MAR.07	MAR.08	MAR.09	MAR.10	MAR.11	MAR.12	MAR.13	MAR.14	MAR. 15	MAR. 16
Gross Income	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528	26,350	28,303	27,826
YoY Growth		30.94 %	31.17 %	19.73 %	19.47 %	24.62 %	14.52 %	11.99 %	7.41%	(1.69 %)
Gross Expenses	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355	23,112	24,744	25,183
YoY Growth		38.10 %	34.18 %	16.38 %	18.35 %	27.60 %	14.81 %	13.54 %	7.06%	1.77 %
Operating Profit	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173	3,238	3559	2643
YoY Growth		0.20 %	13.28 %	43.24 %	25.90 %	8.65 %	12.72 %	2.05 %	9.91%	(25.74 %)
Net Profit	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015	(1,263)	606	(1418)
YoY Growth		10.47 %	3.83 %	85.36 %	18.24 %	(57.43 %)	90.43 %	(224.43 %)	147.98	–
NIM (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31	2.78	2.65	2.73	2.79	2.75
Net Interest Income	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738	6,493	7,247	7,066
YoY Growth		(10.16 %)	0.22 %	14.23 %	109.27 %	(2.95 %)	11.01 %	13.16 %	11.60%	(2.50 %)
Non Interest Income	476	791	1,070	1,735	1,265	1,395	1,667	1,923	1,894	1,939
YoY Growth		66.31 %	35.26 %	62.15 %	(27.09 %)	10.28 %	19.50 %	15.35 %	(1.51 %)	2.38



DIRECTORS' REPORT 2015-16

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank along with the Audited statement of Accounts, the Profit and Loss accounts and the cash flow statement for the year ended March 31, 2016.

1. PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- ❖ Total Business of the Bank increased by ₹ 5798 crore to ₹ 456337 crore from ₹ 450539 crore in previous year, registering y-o-y growth of 1.29 per cent.
- ❖ Total Deposits increased by ₹ 10612 crore to ₹ 266184 crore, registering y-o-y growth of 4.15 per cent.
- ❖ Total Advances of the Bank decreased by ₹ 4815 crore to ₹ 190152 crore, registering y-o-y decline of 2.47 per cent.
- ❖ Operating Profit decreased to ₹ 2643 crore from ₹ 3559 crore in FY 2014-15, registering y-o-y decline of 25.74 per cent.
- ❖ Net loss stood at ₹ 1418 crore in 2015-16 as against net profit of ₹ 606 crore in FY 2014-15.
- ❖ Capital Adequacy Ratio (as per Basel-II) stood at 11.07 per cent with Tier I at 7.44 percent as against 11.89 per cent in previous year. Capital Adequacy Ratio (as per Basel III) stood at 10.41 per cent with Tier I at 8.20 percent as against 10.90 per cent in previous year.
- ❖ Net worth stood at ₹ 14921.76 crore.
- ❖ Gross NPA of the Bank increased by ₹ 10848 crore to ₹ 22721 crore from ₹ 11873 crore in previous year. In percentage term, Gross NPA stood at 11.95%.
- ❖ Net NPA increased to ₹13242 crore from ₹ 6807 crore in previous year. In percentage term, Net NPA stood at 7.36%.
- ❖ Provision Coverage Ratio (PCR) stood at 51.52 per cent in March 2016.
- ❖ Net Interest Margin (NIM) stood at 2.75 per cent in FY 2015-16.
- ❖ Business per Employee increased to ₹ 1195 lakh from ₹ 1138 lakh in previous year.
- ❖ Return on Assets (ROA) is (0.48) per cent for the current financial year.
- ❖ Credit to Priority Sector increased to ₹ 83030 crore from ₹ 75997 crore in previous year, recording y-o-y growth of 9.25 per cent.
- ❖ Agriculture Advance of the Bank increased to ₹ 36833 crore from ₹ 35,957 crore in FY 2014-15 registering y-o-y growth of 2.44 per cent.
- ❖ Advances to Micro & Small Enterprises (MSE) increased to ₹ 27800 crore during the year under review from ₹ 26503 crore in previous year.
- ❖ Education Loan grew by 8.72 per cent during the year and the total loan reached to ₹ 3742 crore.
- ❖ Bank has established 46 Rural Self Employment and Training Institute (RSETIs) in 9 States of the country viz. Madhya Pradesh(18), Bihar(9), Maharashtra(6), Uttar Pradesh(5), West Bengal(3), Chhattisgarh(2), Rajasthan(1), Orissa(1) and Assam(1). During the year 2015-16, the RSETIs conducted 1050 training programmes and imparted training to 28244 candidates. Out of this, 18926 (i.e.67%) trainees were settled through bank credit, wage settlement and self-finance.
- ❖ Bank has 3 RRBs as on 31st March 2016 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.
- ❖ Under Financial Inclusion Bank has covered **4,330** villages with population above 2000 and **18,376** villages with population below 2000. Bank has covered all these villages through **6,387** BC Agents. We have opened **41** Urban Financial Inclusion centres in NCR and Bhopal Region. Bank has opened all its **3677** Ultra Small Branches attached to **1427** Base Branches. Bank has opened **157.26** lacs Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) through its BCs and Branches. Total balance in these accounts is **1277.92 crores** as on 31st March, 2016.
- ❖ Under **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana** our Bank has opened 74.18 **lacs** BSBDA accounts and increased business with a deposit of ₹ **870.60 Crores**.
- ❖ The corporate credit of the Bank decreased to ₹ 87,014 crore from ₹ 97,568 crore in previous year registering y-o-y reduction of 10.82 per cent.
- ❖ The retail credit grew by 10.21 per cent from ₹ 34,939 crore in FY 2014-15 to ₹ 38505 crore in FY 2015-16.
- ❖ Total earning from Bancassurance business is ₹ 19.48 crore for FY 2015-16.
- ❖ As on 31st March 2016, Bank has a network of 4728 branches, 3677 ultra-small branches (USBs), 5254 ATMs, 29 Satellite Offices & 4 Extension Counters across the country.

**2. INCOME & EXPENDITURE**

Details of income and expenditure for the period 2015-16 are given hereunder:

(₹ in Crores)

	31.03.2016	31.03.2015	Variation	%
1 INTEREST INCOME	25888	26409	-521	-1.97
– Advances	18978	19517	-539	-2.76
– Investments	6474	6707	-233	-3.47
– Others	436	185	251	135.68
2 OTHER INCOME	1939	1894	45	2.38
3 TOTAL INCOME (1+2)	27826	28303	-477	-1.69
4 INTEREST EXPENDED	18822	19162	-340	-1.77
– Deposits	17653	17520	133	0.76
– Others	1169	1642	-473	-28.81
5 OPERATING EXPENSES	6361	5582	779	13.96
– Establishment	4465	3825	640	16.73
– others	1896	1757	139	7.91
6 TOTAL EXPENSES (4+5)	25183	24744	439	1.77
7 SPREAD (1-4)	7066	7247	-181	-2.50
8 OPERATING PROFIT (3-6)	2643	3559	-916	-25.74
9 PROVISIONS-NPA/INVST./OTHERS	5313	2669	2643	99.03
10 PROVISIONS FOR TAX	(1252)	284	(968)	(340.85)
11 NET PROFIT	(1418)	606	(812)	(134)

❖ Interest Income declined by 1.97 per cent during the year

❖ Interest expenses on Deposits increased by 0.76 per cent to ₹ 17653 crore in March 2016 from ₹ 17520 crore in previous year.

❖ Expenses on employees increased by ₹ 640 crore during the year to ₹ 4465 crore from ₹ 3825 crore in previous year.

3. PROVISIONS

Details of Total Provisions of ₹ 4061 crore charged to the Profit and Loss Account during the year 2015-16 vis-a-vis previous year are detailed as under:

(₹ in Crores)

	31.03.2016	31.03.2015	Variation
Provisions for Standard Assets	316	39	277
Provisions for NPAs	3828	2610	1218
Provision on Investments	849	(21)	828
Provisions for Taxes	(1252)	284	(968)
Others	320	41	279
TOTAL	4061	2953	1108



4. PROFITABILITY RATIO

(In percentage)

	31.03.2016	31.03.2015
Cost of Deposits	6.86	7.22
Cost of Funds	6.95	7.34
Yield on Advances	10.09	10.75
Yield on Investments	8.14	8.22
Net Interest Margin	2.75	2.79
Cost Income Ratio	70.65	61.07

5. BANKING RATIOS

(In percentage)

	2015-16	2014-15
Interest Income to Average Working Fund (AWF)	8.85	9.29
Non-Interest Income to AWF	0.66	0.67
Operating Profit to AWF	0.90	1.25
Return on Average Assets	-0.48	0.21
Business Per Employee (₹ in lakh)	11.95	11.38
Net Profit per Employee (₹ in lakh)	(3.76)	1.53

6. CAPITAL TO RISK WEIGHTED ASSETS RATIO (CRAR)

The components of Capital Adequacy Ratio were as under:

	31.03.2016		31.03.2015	
	Basel-II	Basel-III	Basel-II	Basel-III
Tier-I	7.44	8.20	8.46	8.05
Tier-II	3.63	2.21	3.43	2.85
Capital Adequacy Ratio	11.07	10.41	11.89	10.90

7. NET LOSS

The Bank has incurred net loss amounting to ₹ 1418 crore during the financial year ended March 31, 2016. Accordingly, Board of Directors has not recommended any dividend on equity shares for the Financial Year 2015-16.

8. CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

During the year under review, the following changes took place in the Board of Directors of the Bank:

- ❖ Shri M.P.Shorawala ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 02.01.2016 consequent upon completion of his three years' tenure.
- ❖ Shri Krishan Sethi ceased to be the Part-Time Non-official Director of the Bank w.e.f. close of working hours on 27.02.2016 consequent upon completion of his three years' tenure.

The Board places on record its appreciation of valuable contribution extended by Shri M.P.Shorawala and Shri Krishan Sethi, who ceased to be the directors of the Bank during Financial Year 2015-16.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

Bank follows Central Vigilance Commission Guidelines on Whistle Blower complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank also has a web based portal in the name of "Cent Vigil" to facilitate reporting malpractices by employees and directors without revealing their identities which would be known to the Chief Vigilance Officer only. Directors and Employees may also approach Chairman of the Audit Committee on need basis. This helps to curb malpractices, prevent frauds and boost up morale of the employees.



10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2016:

- ❖ The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departure, if any;
- ❖ The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied;
- ❖ Reasonable and prudent judgement and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the financial year ended March 31,2016;
- ❖ Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing banks in India ; and
- ❖ The accounts have been prepared on a going concern basis.
- ❖ Internal Financial Control are adequate and were operating effectively.
- ❖ Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and these systems were adequate and operating effectively.

11. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adapt Corporate Governance practices in letter and spirit. The Bank has adopted well documented system and practice on Corporate Governance.

12. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and the Securities and Exchange Board of India for their valuable guidance and support. The Board acknowledges with gratitude the unstinted support and faith of its customers and shareholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016

Rajeev Rishi

Chairman & Managing Director



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Part A: ECONOMIC SCENARIO

Global and Indian Economic Scenario

Signals from the global economy continued to be muted in the year 2015-16. The lacklustre of growth of 1% of US economy in the last quarter of 2015, a mere 0.3% growth in Eurozone mainly because of the low growth in Germany and France, and shrinking of Japanese economy are the disappointing signs of the global economic trend.

Notwithstanding such a bleak external scenario and successive poor monsoons, Indian economy offered reasons to cheer up. To quote from the Economic Survey of Government of India, "India stands out as a haven of stability and an outpost of opportunity. Its macro-economy is stable, founded on the government's commitment to fiscal consolidation and low inflation. Its economic growth is amongst the highest in the world." Inflation was under control. The CPI-New Series inflation has been around 5.50% and WPI has been negative as a result of fall in international oil and other commodity prices. The Current Account Deficit has been at comfortable levels, Forex Reserves have risen to such levels which are well above reserve adequacy norms. Even so, the perils of further weakening of global economy adversely affecting India's economic growth cannot be ignored.

The economic policy interventions initiated by the Government of India like Power Sector reforms through UDAY scheme, Make in India Mission, Smart Cities Mission etc., would certainly add colour to our economic growth story.

Banking Scenario

Banks in India, especially PSBs, continue to face the vagaries of economic downturn, despite the signs of hope discussed above. Asset Quality continues to be the major cause of worry. The Asset Quality Review initiated by RBI, as part of the strategies for withdrawing Regulatory Forbearance, prompted the Banks to clean up their balance sheets, albeit with severely dented bottom lines. The profit margins are getting thinner with muted credit demand and capital constraints continue to stifle business growth.

Our Bank, with its pan-India presence accentuated by a huge network of branches and ATMs has drawn up realistic business goals and strategies, which would certainly enable us to capitalize on the positive economic indicators of the country.

Part- B- PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

As on 31st March 2016, the Total Business of the Bank was ₹ 456337 crore, registering a growth of 1.29 per cent from the previous year figure of ₹ 450539 crore.

The Operating Profit reached to ₹ 2643 from previous year figure of ₹ 3559crore, showing a negative growth of 25.74 per cent, mainly because of lower yield on Advances on account of compliance of AQR given by RBI, wherein the Bank was required to declare certain accounts as NPA. The Bank has posted a Net loss of ₹ 1418 crore in 2015-16 as against ₹ 606 crore profit in previous year.

RESOURCE MOBILISATION

The Total Deposits as on March 31, 2016 stood at ₹ 266184crore, registering a growth rate of 4.15 per cent over previous year, after reduction of High Cost + CODs to the extent of ₹12347 crores, otherwise, the growth would have been 8.98%. Saving Bank Deposits increased to ₹ 82485crore with a growth of 11.75% in 2015-16 from ₹ 73810crore in last year. However, Current Deposits decreased to ₹ 11970crore in 2015-16 from ₹ 13202crore in 2014-15. The share of CASA Deposits to Total Deposits has increased to 35.48 per cent as against 34.05 % during the last year. Total Core Deposits increased to ₹251376crore in 2015-16 with Y-o-Y growth of 10.18 per cent from ₹ 228137crore in 2014-15 whereas Core Term Deposits grew by 11.19 per cent to reach a level of ₹ 156921crore in 2015-16 from ₹ 141125crore in 2014-15.

CREDIT

As of 31.03.2016, the gross credit of the Bank stood at ₹190152 crore as against ₹ 194967 crore in the previous year, registering y-o-y decline of 2.47 per cent after conversion of DISCOM advances of ₹12021 crores into Bonds, otherwise, the growth would have been 3.70%.

Credit Monitoring Department

Bank has introduced a well-defined Monitoring Policy, containing detailed guidelines on SMA (Special Mention Accounts) Management which encompasses all areas of SMA management, Early Warning Signals, Monitoring & Follow-up Measures and Reporting System.



PRIORITY SECTOR CREDIT

As per RBI directives, 40% of adjusted net bank credit or credit equivalent amount of off-balance sheet exposure, whichever is higher, is to be lent to priority sector. Lending under this sector is therefore, the thrust area of the Bank. We have focused on the growth in lending to Agriculture, MSME, Housing, Education and others which are the major constituents of Priority Sector. As a result, our growth under Priority Sector lending has been quite impressive. The credit deployment under priority sector increased from ₹ 75997 crores to ₹ 83030 crores during 2015-16, recording a growth of 9.25 % over previous year.

RETAIL CREDIT

Total outstanding under Retail Lending Schemes increased from ₹ 34939 Crore as on 31.03.2015 to ₹ 38505 crore as on 31.03.2016 by registering absolute growth of ₹ 3566 Crore and rate of growth of 10.21% over March 2015. The retail portfolio of the Bank was over 20% per cent of total advances.

INTERNATIONAL DIVISION

- ❖ Foreign Exchange Business of the Bank is carried out through 90 Authorized Dealer ("B" category) Branches spread across the country. For operational efficiency, Bank has a centralized Dealing Room at Mumbai for attainment of better funds management and operational convenience.
- ❖ During the current Financial Year, the Export Credit portfolio of the Bank increased from ₹5571 crore as on 31.03.2015 to ₹ 5628 crore as on 31.03.2016.
- ❖ Merchant trade foreign exchange turnover was ₹ 44,027 crore in FY 2015-16 as against ₹ 44,166 crore in FY 2014-15.
- ❖ NRE Deposits increased from ₹ 3,079 crore as on 31.03.2015 to ₹ 3,819 crore as on 31.3.2016; an increase of 24% over the previous year.
- ❖ FCNR Deposits increased from USD 174.85 million as on 31.3.2015 to USD 204.21 million as on 31.03.2016; an increase of 17% over the previous year.

TREASURY, FUNDS AND INVESTMENT

The investment portfolio of the Bank has decreased to ₹89895 crore as on 31st March 2016 as against ₹ 89921 crore (₹ 95655 crore was reported as RIDF was under investment then) as on 31st March 2015 thereby recording a decrease of 0.03% over the previous year. The ten year benchmark yield closed at 7.42% as on 31st March 2016 vis-à-vis 7.74% on 31.03.2015.

RBI took a slew of measures to provide stable liquidity by bringing in variants of repo, term repo, variable term and reverse repo during the FY 2015-16. The Repo rates were reduced twice in FY 2015-16 by .75 % (.25% in June 2015 and 0.50% in October 15).

RISK MANAGEMENT

Risk Management System/Organizational Set Up

Risk Management systems are now well established in the Bank. Risk Management Committee of the Board of Directors regularly oversees the Bank's Risk Management policies/practices under Credit, Market and Operational risks & Pillar II risks. The Committee reviews the policies and procedures for pricing of products and assessing the risk models relative to market developments and also identifies and controls new risks. The committee also regularly monitors compliance of various risk parameters by the concerned departments at the corporate level.

RECOVERY DEPARTMENT

The Bank has a well-defined Recovery Policy containing detailed guidelines for NPA Management. It encompasses all areas of NPA Management, Monitoring and Follow-up measures, Compromise settlements, Staff Accountability, SARFAESI Act, Appointment of Recovery/Enforcement Agencies, Sale of assets to ARCs, Willful Defaulters, One Time settlement Schemes and MIS. The Policy is reviewed from time to time to incorporate the latest changes/developments in Economy and trends in NPA Resolution/Management.

During the year 2015-16, though Cash Recovery of ₹ 1287 crore, Upgradation of ₹608 crore and Sale of NPAs ₹ 1123 crores, aggregating to ₹3018 crore, the performance was impacted by the fresh accretion of some high ticket accounts. (30 accounts of ₹50.00 crore and above amounting to ₹ 8202 crores).



INFORMATION TECHNOLOGY

The bank achieved 100% coverage of branches under Centralised Banking Solution (CBS) in December 2010. The Bank has put in place state of the Art IT infrastructure and automated the business processes to ensure operational efficiency and promptness of the service to customers. Updation/augmentation of existing computing resources viz. hardware, networking, software, security and other associated requirements are done in tune with future business projections and other statutory and security obligations. The entire set up is now geared to cope up with the Bank's requirement till September 2017 and renewals are done for next 5 years as per practice in line with the business requirement.

AUDIT AND INSPECTION

Branches of the Bank are subjected to Risk Based Internal Audit through Internal Auditors and Risk Rating is awarded to each branch as per Composite Risk Matrix. There were 2300 branches with Medium Risk Rating, 2296 branches with Low Risk Rating and 64 branches with High Risk Rating as on 31.03.2016. No branch of the Bank is rated under Very High Risk or Extremely High Risk.

BRANCH EXPANSION

As on 31st March 2016, Bank has network of 4728 branches, 3677 Ultra Small Branches, 5254 ATMs, 29 satellite offices and 4 Extension Counters. Bank is having pan India presence covering all 28 States, 6 out of 7 Union Territories, 561 District Head Quarters and 568 Districts out of 642 districts in the country.

Customer Grievances

Bank is having a new Grievance Portal with user friendly features as a part of Internal Grievance Redressal Mechanism. To have zero tolerance for customer complaints against staff misbehavior bank is having a panel of retired General Managers of other PSBs for independent and impartial investigation in the misbehavior incidents.

CORPORATE COMMUNICATIONS

It continued to be our endeavor this year to make consistent efforts with thrust on Low cost advertising to generate public awareness about our products & services through print, electronic, outdoor and other mass communication vehicles, to sustain and enhance our brand image while adopting go-green measures and to augment the business of our Bank with active engagement/involvement of field staff.

VIGILANCE

To facilitate faster disposal of vigilance related complaints, on line complaints module was introduced in the Bank to track complaints on a real time basis. As a result, pendency has come down by more than 20% on YOY basis. Due to close follow up, number of vigilance cases has come down by 10% on YOY basis.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

MANPOWER:

At the end of March 2016 the staff strength of the Bank stood at 37,685 as against 39,039 in the previous year. The category-wise break-up of staff is given below:

Category	March 2016	March 2015
Officers	16115	16,247
Clerks	13103	14,098
Sub-staff	8467	8,694
Grand Total	37685	39,039

SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

i. CENTBANK HOME FINANCE LIMITED

- ❖ Owned funds have increased from ₹88.19 crore as on March 2015 to ₹91.12 Crore as on March 2016 due to consistent growth in profits.
- ❖ During the year, the total advances of the Company improved from ₹ 803.53 crore in March 2015 to ₹1110.21 crore as on March 2016 Y-o-Y growth of 38.17%. Housing Loans have increased from ₹628.77 crore in March 2015 to ₹881.04 crore as on March 2016 registering growth of 40.12%. Non Housing Loans increased to ₹229.29 crore from ₹171.68 crore registering growth of 33.56%.



ii. CENTBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED

- ❖ Centbank Financial Services Limited is essentially providing Trusteeship Services including Debenture/Security Trustee, Executor Trustee and Managing Charitable Trusts etc.
- ❖ The Company is registered with SEBI to undertake Debenture Trusteeship activities; while the Company has discontinued carrying on Mutual Fund Advisor activity.

Financial Update:

- ❖ The company earned a Net Profit of ₹ 2.00 crore for the year ended 31 March 2016 against Net Profit of ₹ 3.15 crore in the previous year,
- ❖ Segment-wise earnings:

(Amounts in ₹)

Particulars	FY 2015-16	FY 2014-15
Fees from Executor Trusteeship	40,97,743	35,78,295
Fees from Debenture & Security Trusteeship	2,56,73,602	2,06,85,035
Syndication Fees	–	1,14,29,650
Advisory Fees	–	2,38,63,480
Arranger Fees For Capital Market	–	–
Brokerage from Mutual Fund	–	–
Total	2,97,71,345	5,95,56,460

iii. INDO-ZAMBIA BANK LTD.

- ❖ The Bank's Joint Venture in Zambia is promoted jointly by Government of Zambia and three India Banks viz. Central Bank of India, Bank of Baroda and Bank of India. While each of the 3 Indian Banks hold 20% equity, Govt. of Republic of Zambia holds the balance 40% equity.
- ❖ Bank's financial year is the calendar year.
- ❖ The Bank has been performing well in all parameters and is presently the sixth largest bank in Zambia.
- ❖ As at the end of December 2015, our Bank is holding total 8,32,00,000 shares of Kwacha 1 each value of which in INR terms stood at ₹ 47.48 crore.
- ❖ During the year the Bank declared dividend for the year 2014. Accordingly, our Bank received dividend of USD 430,000/- equivalent to ₹ 2,80,38,996/-.

iii. Regional Rural Banks :

We have 3 RRBs as on 31st March 2016 in 3 states covering 47 districts with a network of 1629 branches.

Awards & accolades

- ❖ During the Financial Year 2015-16, Bank received first prize in "RBI Rajbhasha Shield Scheme."
- ❖ Bank was awarded with Excellence for RSETI functioning.
- ❖ Bank was awarded first prize for Excellent Implementation of Official Language Policy of Government of India.
- ❖ Bank received the "Banking Technology Award" for Best Technology Initiative for Financial Inclusion in the Runner Up Category.



CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy of Corporate Governance

- ❖ Thrust of the Corporate Governance of the Bank is to enhance shareholders' value by pursuing ethical practices in the conduct of its business and maintaining high standard of disclosure and transparency. The Bank has adopted best practices, and standards of governance are monitored by various Committees of the Board. The Board, the Executives and other functionaries have distinctly demarcated roles in achieving the Corporate goals – improved performance and enhanced shareholders' value.
- ❖ The equity shares of the Bank are listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.
- ❖ ICRA Limited has reaffirmed the "CGR3+" (pronounced CGR Three plus) rating to the Corporate Governance practices of our Bank. This rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders a high level of assurance on the quality of Corporate Governance.

Board of Directors

- ❖ The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended from time to time). The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman and Managing Director.
- ❖ The composition of the Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended and the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.
- ❖ During the year under review i.e. 2015-16, the composition of the Board was as under:

Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2016	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2016		Directorship of other Companies as on 31.03.2016	Whether attended last AGM held on 30.06.2015
						Member	Chairman		
1.	Shri Rajeev Rishi	Chairman and Managing Director	From 01.08.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, VIG, CAC, HR, MRC, CRC	MCB, RMC, LVFC, CSC, IFRS, VIG, CAC, HR, MRC, CRC	-Indo Zambia Bank Ltd. -India Infrastructure Finance Co. Ltd.	Yes
2.	Shri R.K.Goyal	Executive Director	From 11.01.2013	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	-Cent Bank Home Fin. Ltd. -Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes



Sr. No.	Name	Position Held	Period (From – To)	No. of Equity Shares of the Bank held as on 31.03.2016	Area of Expertise	Membership / Chairmanship of Committees of Board of Central Bank of India as on 31.03.2016		Directorship of other Companies as on 31.03.2016	Whether attended last AGM held on 30.06.2015
						Member	Chairman		
3.	Shri B.K. Divakara	Executive Director	From 23.01.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	- Cent Bank Home Finance Ltd. - Cent Bank Financial Services Ltd.	Yes
4.	Shri R. C. Lodha	Executive Director	From 11.03.2015	NIL	Banking	MCB, RMC, LVFC, CSC, ITS, SRC, IFRS, CAC, HR, MRC, CRC	NIL	NIL	Yes
5.	Dr. Saurabh Garg	Government of India Nominee Director	From 19.02.2014	NIL	Administration	ACB, RMC, LVFC, RC, VIG, MRC, HR	RC	NIL	No
6.	Shri Shekhar Bhatnagar	RBI Nominee Director	From 13.03.2014	NIL	Banking	MCB, ACB, RC, VIG	NIL	NIL	No
7.	Shri M.P. Shorawala	Part Time Non-official Director	From 03.01.2013 To 02.01.2016	NIL	Lawyer	MCB, RMC, ITS, CSC, HR	ITS	Vishwa Lakshmi Exports (P) Ltd.	Yes
8.	Shri Krishan Sethi	Part Time Non-official Director	From 28.02.2013 To 27.02.2016	NIL	Professional	ACB, RMC, LVFC,	ACB	NIL	Yes
9.	Shri S.B. Rode	Officer Employee Director	From 02.04.2013	133	Banker	MC, LVFC, CSC, SRC	NIL	NIL	Yes
10.	Shri Gurbax Kumar Joshi	Workmen Employee Director	From 10.07.2013	NIL	Banker	MCB, CSC, ITS, SRC	NIL	NIL	No
11.	Smt. N.S. Rathnaprabha	Part Time Non-official Director	From 19.12.2013	NIL	Social Service	ACB, RMC, SRC, CSC, RC, CIWD	SRC	NIL	Yes
12.	Shri S. Bandyopadhyay	Shareholders' Nominee Director	From 01.07.2015	NIL	Administration	ACB, RMC, ITS, SRC	NIL	IL&FS Ltd.	Not a Director on the date of AGM
13.	Shri K.R. Patel	Shareholders' Nominee Director	From 01.07.2015	163	Professional	MCB, LVFC, ITS, SRC, CIWD	NIL	NIL	Not a Director on the date of AGM



The Chairman and Managing Director and the Executive Directors are whole time Directors of the Bank.

MCB	–	Management Committee of the Board
ACB	–	Audit Committee of the Board
RMC	–	Risk Management Committee
LVFC	–	Large Value Fraud Committee
CSC	–	Customer Service Committee
ITS	–	Information Technology Strategy Committee
SRC	–	Stakeholders Relationship Committee
RC	–	Remuneration Committee
IFRS	–	International Financial Reporting Standards Committee
VIG	–	Vigilance Committee
CAC	–	Credit Approval Committee
HR	–	Human Resources Committee
MRC	–	Monitoring of Recovery Committee
CRC	–	Capital Raising Committee

Management Committee of the Board:

✦ The Management Committee of the Board is constituted under The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and it exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.03.2016, it comprised 8 members consisting of the Chairman & Managing Director, 3 Executive Directors, Reserve Bank of India Nominee Director, and 3 other Directors which include 1 Shareholders' Nominee Director, 1 Workmen Employee Director and 1 Officer Employee Director. The Part-Time/Workmen directors are rotated every six months. The Management Committee of the Board met 16 times during the financial year 2015-16.

Credit Approval Committee:

Pursuant to clause 13A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a Credit Approval Committee of the Board of Directors has been constituted w.e.f. 31.01.2012. The Committee exercises the powers of the Board with regards to credit proposals upto ₹ 400.00 crore, compromise / write off proposals upto ₹ 10.00 crore, premises proposals upto ₹ 15.00 lacs per annum (Rural Area), upto ₹ 25.00 lacs per annum (Semi-urban Area), upto ₹ 50.00 lacs per annum (Urban Area) and upto ₹ 1.00 crore per annum (Metro Area). The Present Committee comprises of Chairman and Managing Director, Executive Directors and General Managers in charge of Risk Management, Credit, Credit Monitoring, and Recovery. The Credit Approval Committee met 27 times during the year.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction as well as overseeing the operation of the total audit function of the Bank, which includes the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the RBI. The Audit Committee of the Board shall comprise of Executive Directors, Government of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and two non-official non-executive directors, at least one of them should be a Chartered Accountant. Directors from staff will not be included in the ACB. During the year, the Audit Committee met 15 times.

Risk Management Committee

In terms of Reserve Bank of India circular DBOD NO.DP(SC)BC/98/21.04.103/39 dated 7th October, 1999 and vide Board Agenda N.BM/01/2002-03/3.2 of meeting dated 20.04.2002 and vide Board Agenda No.BM/09/2002-03/3.9 of meeting dated 25.11.2002, the Risk Management Committee of the Board is formed. The committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors, GOI Nominee Director, RBI Nominee Director and three Non Official Part Time Directors. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the year.

**Remuneration Committee and Remuneration of Directors:**

- ❖ The Remuneration Committee of the Board of Directors was constituted as per Ministry of Finance Communication F.No.20.1.2005-Bo-I dated 09.03.2007 for payment of performance-linked incentive to wholetime Directors. The Committee consists of Govt. of India Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 Independent Directors.
- ❖ The Remuneration Committee met on 25.05.2015 & 28.09.2015 for considering the performance-linked incentive to wholetime directors for the Financial Year 2015-16.
- ❖ The Non Official Independent Directors / Non- Executive Director were paid sitting fees of ₹ 20,000/- for attending every meeting of the Board of Directors and ₹ 10,000/- for attending every meeting of various Sub-Committees of the Board, apart from the Bank incurring the usual travelling and stay expenses. Sitting fees before July 2015 was ₹ 10,000/- for every meeting of the Board of Directors and ₹ 5,000/- for every meeting of sub-committees of the Board. Sitting fees are not paid to the Chairman & Managing Director, Executive Directors and Directors who are officials of Government of India / Reserve Bank of India.
- ❖ During the financial year 2015-16, the following amounts have been paid to the Chairman & Managing Director and Executive Directors as total salary, allowances, incentives and perks:

Sr	Name	₹ in lacs
1.	Shri Rajeev Rishi (CMD)	29.64
2.	Shri Raj Kumar Goyal (ED)	25.62
3.	Shri B K Divakara (ED)	23.15
4.	Shri R C Lodha (ED)	17.76

- ❖ During the year under review, the Bank has paid ₹ 12,20,000/- (Rupees Twelve lac twenty thousand only) to the eligible Directors towards sitting fees for attending Board Meetings and ₹ 12,75,000/- (Rupees Twelve lac seventy five thousand only) towards attending the Sub-Committee Meetings of the Board.

Stakeholders' Relationship Committee

In compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with stock exchanges, the Bank is having Stakeholders' Relationship Committee to specifically look into the mechanism of redressal of grievances of the shareholders, debenture holders and other security holders including complaints related to transfer of shares, non-receipt of Annual Report, non- receipt of declared dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied/ redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days, on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Chairman & Managing Director, Executive Directors and two Independent Directors. Smt. N.S. Rathnaprabha was Chairperson of the Committee during financial year 2015-16. The Part-Time Non-Official Directors are rotated after every one year. The Committee met 4 times during the year.

The details of Investor Grievances for the year 2015-16 (01.04.2015 to 31.03.2016) is as under:

1	Grievances pending at the beginning of the year	NIL
2	Letters Non Receipt of Share Certificate (s)	NIL
3	Non Receipt of Dividend Warrants	174
4	Not Receipt of Annual Report/EGM Notice	43
5	Non Receipt of Refund Order	7
6	Correction in Refund Instrument	NIL
7	Others (NSE, BSE, SEBI)	12
8	Total Grievances received	236
9	Total Grievances attended/resolved	236
10	Total complaints pending at the end of the year	NIL

We confirm that no investor's complaints remained unattended/pending for more than 30 days.



Compliance Officer

Shri Anand Kumar Das, Assistant General Manager-MBD/Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank in terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for Equity Shares and Non-convertible Debt Securities issued by the Bank and listed at Stock Exchanges besides acting as the Compliance Officer for activities pertaining to Bankers to issue, Merchant Banking and Debenture Trusteeships.

Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues, etc.

During the year, Bank has raised ₹ 165.57 crore (including premium) from Life Insurance Corporation of India on 31st March, 2016 by allotment of 3,14,41,088 equity shares on preferential basis. The funds are raised with the primary objective of augmenting Tier-I and Tier-II Capital for strengthening capital adequacy ratio and for enhancing the long-term resources of the Bank. The funds raised, are being utilized for the above purpose. Further, the Bank has also received ₹ 535/- crore from Government of India on 30.03.2016 towards capital infusion by way of proposed preferential allotment of equity in favour of the Government of India and the same has been kept in the newly opened Bank Account namely, "Central Bank of India Share Application Money Account". Bank vide its letter dated 28th March 2016 sought approval of Reserve Bank of India (RBI) to treat the said Capital funds as part of Common Equity Tier 1 (CET 1) Capital for the financial year ended 31st March 2016 pending allotment of equity shares to Government of India, which was granted by RBI vide its letter dated April 06, 2016.

Means of Communications

The quarterly financial results (unaudited but subject to limited review by Statutory Auditors) and audited Annual Results were normally published in English, Hindi, Marathi and many regional languages in various leading newspapers, such as, Economic Times, Financial Express, Business Standard, Pudhari (Marathi), etc. The results were also displayed on the Bank's website at www.centralbankofindia.co.in.

General Shareholder Information

9th Annual General Meeting of the Bank:

Day and Date: Thursday, 30th June, 2016 at 11:00 AM at 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021.

1. The Annual General Meeting is relevant for the financial year 2015-16
2. Date of Book Closure: 25th June 2016 to 30th June, 2016 (Both days inclusive)
3. No dividend was recommended for the financial year 2015-16

General Body Meetings:

Sr. No.	Nature of Meeting	Date & Time	Venue
1.	Eighth Annual General Meeting	30 th June, 2015, 11:00 AM	Sir Sorabji Pochkhanawala Banker's Training College, Near Cooper Hospital / Reliance Energy Office, JVPD Scheme, Vile Parle (West), Mumbai, 400056
2.	Seventh Annual General Meeting	30 th June, 2014, 11:00 AM	Same as above
3.	Sixth Annual General Meeting	29 th June, 2013, 11:00 AM	Same as above

In eighth annual general meeting, one special resolution was passed according thereby consent of the shareholders to the Board of Directors of the Bank and its committee namely-Capital Raising Committee to raise the capital upto the value of ₹ 5,000/- crore (Rupees Five Thousand Crore Only)(including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank.

No special resolution was required to be passed last year through postal ballot. Also, no resolution has been proposed to be conducted through postal ballot in the ensuing AGM.


Listing on Stock Exchanges:

The shares of the Bank are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The scrip codes are as follows:

BSE Ltd. (BSE)	532885
National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)	CENTRALBK
ISIN Number	INE483A01010

Annual Listing fee for 2016-17 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-II Capital) from time to time. The relevant outstanding details thereof are as under:

Central Bank of India Bonds-Tier-II Capital position as on 31.03.2016

Series Particulars	Issue date	Total Value (₹ in crores)	ISIN
Lower Tier II-Series XI	04.10.2006	700.00	INE483A09153
Lower Tier II-Series XII	03.03.2008	389.10	INE483A09161
Lower Tier II-Series XIII	10.02.2009	270.00	INE483A09187
Lower Tier II-Series XIV	21.12.2011	500.00	INE483A09245
Upper Tier II-Series I	14.11.2008	300.00	INE483A09179
Upper Tier II-Series II	17.02.2009	285.00	INE483A09195
Upper Tier II-Series III	23.06.2009	500.00	INE483A09203
Upper Tier II-Series IV	20.01.2010	500.00	INE483A09211
Upper Tier II-Series V	11.06.2010	1000.00	INE483A09229
Upper Tier II-Series VI	21.01.2011	300.00	INE483A08015
Basel III Complaint Sr I	08.11.2013	1000.00	INE483A09260
Total		5744.10	

All these bonds are listed on BSE Ltd. The Bank has paid the Annual Listing fee for 2015-16 to the Exchange.

Share Transfers and Redressal of Shareholders'/Investors' Grievances:

Share Transfers, Refund Order, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgment of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders/ investors are requested to contact the Registrars at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd.

C-13, Pannalal Silk Mills Compound

LBS Marg, Bhandup (West)

Mumbai – 400 078

Tel: 022-25946970

Fax: 022-25946969

Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

Address for correspondence with the Bank:

AGM-MBD / Company Secretary and Compliance officer

Central Bank of India

9th Floor, Chandermukhi

Nariman Point

Mumbai 400 021

Contact No. 022- 6638 7818

Fax No.: 022- 2283 5198

Email id: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centrabank.co.in



Dematerialization of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form. The Bank had already entered into agreements with both the Depositories viz., National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by shareholders as on 31.03.2016 are as under :

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	117	136616	0.01
NSDL	96685	310284777	18.36
CDSL*	54504	1379292876	81.63
Total	151306	1689714269	100.00

* Including 1350827438 (79.94%) held IN DEMAT form by the Central Government.

There are no outstanding GDRs / ADRs /warrants or any convertible instruments.

Shares in Unclaimed Suspense Account:

In terms Clause 5A of Listing Agreements, the Shares outstanding in "**Unclaimed Suspense Account**" as on 31st March, 2016 are as under:

Sr. No.	Particulars	Aggregate number of Shareholders	Aggregate outstanding Shares
(i)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the beginning of the year	255	34,299
(ii)	Number of shareholders who approached the issuer for transfer of shares from Unclaimed Suspense Account during the year	15	1080
(iii)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Unclaimed Suspense Account during the year	15	1080
(iv)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed Suspense Account at the end of the year	240	33,219

Certificate of Compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the statutory auditors of the Bank, in compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Listing Agreement entered into, with the Stock Exchange is attached.

ANNEXURE I

Declaration of Compliance with Code of Conduct

I confirm that all Board Members & Senior Management have affirmed Compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2015-16.

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016

Sd/-

[Rajeev Rishi]

Chairman and Managing Director



C E R T I F I C A T E

To the Members of Central Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Bank of India for the year ended on 31st March, 2016 as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Central Bank of India with stock exchanges.

The Compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Central Bank of India for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Central Bank of India.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that Central Bank of India has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement and or stipulated in SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We state that no investor grievance is pending against Central Bank of India as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Central Bank of India.

For DOOGAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000561N

(CA M.K.DOOGAR)

PARTNER

M.No.080077

For N.SARKAR & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.301075E

(CA G.MUKHOPADHYAY)

PARTNER

M.No.010534

For B.N.MISRA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.321095E

(CA B.N.MISRA)

PARTNER

M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)

PARTNER

M.No.049289

For LODHA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.301051E

(CA R.P.SINGH)

PARTNER

M No.052438

For PATHAK H D & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)

PARTNER

M No.015585

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065	N SARKAR & CO 21 Prafulla Sarkar Street 2nd floor Kolkata- 700072, West Bengal	B N MISRA & CO S-29 , MaitriVihar, Phase – II In front of Satyam Development Centre Bhubaneshwar- 751023 Orissa
CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Maharashtra	LODHA & CO 14 Government Place East, Kolkata-700069, West Bengal	PATHAK H D & ASSOCIATES 814-815, Tulsiani Chambers, 212 Nariman Point, Mumbai-400021 Maharashtra

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Central Bank of India

Report On the Financial Statements

- We have audited the accompanying financial statements of Central Bank of India as at March 31, 2016 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2016 and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies, notes and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **20** Branches, **24** Regional Offices audited by us out of a total of **4728** branches, **59** Regional Offices, and **1958** branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns of **2750** branches, **35** Regional Offices which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for **11.43%** of advances, **31.35%** of deposits, **6.95%** of interest income and **26.45%** of interest expense.

Management's Responsibility for the Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India Guidelines from time to time and accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

- In our opinion, as shown by the books of the bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - the Balance Sheet read with significant accounting policies and the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2016 in conformity with accounting principles generally accepted in India;



- (b) the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
- (c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

We invite your attention to:

- a) Note no. 5.3 (I & II) of Schedule 18 regarding provision in respect of segment of loan/ bonds non envisaged / envisaged to be converted into SDL Bonds in relation to Power Distribution Cos. (DISCOM) pursuant to UDAY Scheme;
- b) Note no. 11 (g) of Schedule 18 regarding recognition of deferred tax asset on provision on Non Performing Assets;
- c) Note no.5.4 of Schedule 18 regarding provision on advances to Food Corporation of India in terms of directions issued by Reserve Bank of India.
- d) Note no. 5.5 of Schedule 18 regarding provision made against certain borrowal accounts pursuant to directions on asset quality review received from Reserve Bank of India.

Our opinion is not qualified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.
9. We further report that:
- (a) the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
- (b) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
- (c) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For DOOGAR & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000561N

(CA M.K.DOOGAR)
 PARTNER
 M.No.080077

For N.SARKAR & CO
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.301075E

(CA G.MUKHOPADHYAY)
 PARTNER
 M.No.010534

For B.N.MISRA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.321095E

(CA B.N.MISRA)
 PARTNER
 M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
 PARTNER
 M.No.049289

For LODHA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.301051E

(CA R.P.SINGH)
 PARTNER
 M No.052438

For PATHAK H D & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
 PARTNER
 M No.015585

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



AUDITORS' REPORT ON ABRIDGED FINANCIAL STATEMENTS

M/S. DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110065	M/S. N SARKAR & CO 21 Prafulla Sarkar Street 2nd floor Kolkata- 700072, West Bengal	M/S. B N MISRA & CO S-29, Maitri Vihar, Phase-II In front of Satyam Development Centre Bhubaneswar- 751023, Orissa
M/S. CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013	LODHA & CO 14-Government Place East Kolkata-700069 West Bengal.	PATHAK H D & ASSOCIATES 814-815, Tulsiani Chambers, 212, Nariman Point, MUMBAI-400021 MAHARASHTRA.

To the Members of Central Bank of India

We have examined the attached abridged Balance Sheet of Central Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2016, the abridged Profit and Loss Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Financial Statements).

These abridged financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2016 drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and covered by our independent auditors report dated May 13, 2016, which is attached hereto.

For DOOGAR & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.000561N

(CA M.K.DOOGAR)
 PARTNER
 M.No.080077

For N.SARKAR & CO
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.301075E

(CA G.MUKHOPADHYAY)
 PARTNER
 M.No.010534

For B.N.MISRA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.321095E

(CA B.N.MISRA)
 PARTNER
 M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
 PARTNER
 M.No.049289

For LODHA & CO.
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.301051E

(CA R.P.SINGH)
 PARTNER
 M No.052438

For PATHAK H D & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS
 F.R. No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
 PARTNER
 M No.015585

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



Abridged Balance Sheet of Central Bank of India as at March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-16	As at 31-Mar-15
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	16,897,143	16,582,732
Reserves and Surplus	2	159,894,264	157,986,391
Share application Money pending allotment		5,350,000	—
Deposits	3	2,661,841,873	2,555,723,949
Borrowings	4	92,078,934	259,741,335
Other Liabilities and Provisions	5	118,598,782	129,370,581
TOTAL		3,054,660,996	3,119,404,988
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	140,695,075	141,148,487
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14,715,384	6,954,343
Investments	8	888,675,375	897,399,645
Advances	9	1,800,095,880	1,884,775,325
Fixed Assets	10	43,592,873	28,331,615
Other Assets	11	166,886,409	160,795,573
TOTAL		3,054,660,996	3,119,404,988
Contingent Liabilities	12	768,034,422	908,926,711
Bills for Collection	-	118,375,835	110,608,049
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

R. C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



SAURABH GARG

Director

SHEKHAR BHATNAGAR

Director

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

Director

KETUL R. PATEL

Director

SMT. N.S.RATHNAPRABHA

Director

GURBAX K.JOSHI

Director

For DOOGAR & ASSOCIATES

Chartered Accountants

F.R. No.000561N

For N.SARKAR & CO

Chartered Accountants

F.R. No.301075E

For B.N. MISRA & CO.

Chartered Accountants

F.R. No.321095E

(CA M.K.DOOGAR)

Partner

M.No.080077

(CA G.MUKHOPADHYAY)

Partner

M.No.010534

(CA B.N.MISRA)

Partner

M.No.083927

For CHANDABHOY &

JASSOOBHOY

Chartered Accountants

F.R. No.101647W

For LODHA & CO

Chartered Accountants

F.R.No.301051E

For PATHAK H D ASSOCIATES

Chartered Accountants

F.R.No.107783W

(CA AMBESH A.DAVE)

Partner

M.No.049289

(CA R.P.SINGH)

Partner

M.No.052438

(CA B.P.CHATURVEDI)

Partner

M.No.015585

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



Abridged Profit and Loss Account of Central Bank of India for the year ended March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	Year Ended 31-Mar-16	Year Ended 31-Mar-15
I. INCOME			
Interest Earned	13	258,878,971	264,087,794
Other Income	14	19,387,857	18,942,315
TOTAL		278,266,829	283,030,109
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	188,222,689	191,617,105
Operating Expenses	16	63,614,691	55,821,792
Provisions and Contingencies		37,606,149	29,526,730
TOTAL		289,443,529	276,965,627
PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR BEFORE PRIOR PERIOD ITEM		(11,176,700)	6,064,482
Less: Prior period Item		3,005,200	-
Net Profit /(Loss) for the year after Prior period item		(14,181,900)	6,064,482
Profit brought forward		(10,227,726)	(13,038,008)
TOTAL		(24,409,626)	6,973,526
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		-	1,516,100
Investment Reserve		925,930	538,300
Special Reserve u/s 36(1)(viii)		-	-
Staff Welfare Fund		-	181,900
Revenue Reserve		-	-
Fund in lieu of Insurance		-	20,000
Proposed Dividend - Preference Capital		-	-
Proposed Dividend - Equity Capital		-	829,100
Dividend Tax		-	168,800
Balance Carried Over to Balance Sheet		(25,335,556)	10,227,726
EPS (Basic & Diluted)		(8.55)	4.27
Principal Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

R. C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



SAURABH GARG

Director

SHEKHAR BHATNAGAR

Director

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

Director

KETUL R. PATEL

Director

SMT. N.S.RATHNAPRABHA

Director

GURBAX K.JOSHI

Director

For DOOGAR & ASSOCIATES

Chartered Accountants

F.R. No.000561N

For N.SARKAR & CO

Chartered Accountants

F.R. No.301075E

For B.N. MISRA & CO.

Chartered Accountants

F.R. No.321095E

(CA M.K.DOOGAR)

Partner

M.No.080077

(CA G.MUKHOPADHYAY)

Partner

M.No.010534

(CA B.N.MISRA)

Partner

M.No.083927

**For CHANDABHOY &
JASSOOBHOY**

Chartered Accountants

F.R. No.101647W

For LODHA & CO

Chartered Accountants

F.R.No.301051E

For PATHAK H D ASSOCIATES

Chartered Accountants

F.R.No.107783W

(CA AMBESH A.DAVE)

Partner

M.No.049289

(CA R.P.SINGH)

Partner

M.No.052438

(CA B.P.CHATURVEDI)

Partner

M.No.015585

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



Notes to Abridged Financial Statements for the year ended March 31, 2016.

1. Basis of Preparation:

The abridged Financial Statements have been prepared on the basis of the audited standalone financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2016 (hereinafter referred to as 'Annual Standalone Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies of the Bank are contained in Schedule 17 of the 'Annual Standalone Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Annual Standalone Financial Statements.

- a) Depreciation on the revalued amount of premises has been charged to the Profit and Loss Account as against the earlier practice of charging the same to Revaluation Reserve. Corresponding amount of ₹ 24.30 crores has however been adjusted from Revaluation Reserve and credited to Revenue and Other Reserve.
- b) The premises of the Bank were revalued to reflect the market value as on 31.03.2016 based on the reports of external independent valuers and approved by the Board of Directors and ₹ 1586.15 crore being the net increase in value thereof have been credited to Revaluation Reserve Account.
- c) Prior period items: Provision of ₹ 300.52 crore relating to earlier years based on the actuarial valuation report pertaining to Employee Benefits (Pension Fund).
- d) Attention is invited in the Auditors' Report on following matters:
 - 1) In order to provide assistance to Power Distribution Companies (DISCOMS), pursuant to UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) scheme, the Bank has subscribed to Non SLR SDL bonds of ₹ 9232 crore issued by respective State Governments and State Government Guaranteed DISCOMS Bonds of ₹ 2538 crores against settlement of outstanding dues of DISCOMS as on 30th September 2015. In terms of RBI letter No. DBR.BP.NO. 11657/21.04.132/2015-16 dated 17th March 2016 read with further clarification dated 21st April 2016 and 11th May, 2016:
 - a. Provision of ₹ 525.90 crores in respect of segment of loan/bonds of ₹ 3506.08 crores not envisaged to be converted into SDL Bonds has been made.
 - b. No provision has been made for the segment of loan of ₹ 668.31 crores envisaged to be converted into SDL Bonds.
 - c. Provision of ₹ 74.51 crores has been made for diminution in fair value of loan.
 - d. There was no diminution in value of the DISCOM and SDL bonds on mark to market basis as at 31st March 2016 and as such no provision has been considered necessary
 - 2) In respect of DISCOM loans of ₹ 1591.73 crore (including ₹ 1021.11 crores where MOU has been signed by the Punjab State Government, DISCOM & Ministry of Power), though the respective State



Government has participated in the UDAY scheme, the same remains to be implemented by the Bank as on 31st March 2016. Accordingly, loans have been classified and treated as per usual IRAC norms. Adjustments required pursuant to the UDAY scheme with respect to these loans will be ascertained and given effect to on implementation thereof.

- 3) In compliance with the RBI letter No. DRB.NO.13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April, 2016 as referred in the letter dated 16th April 2016 received from State Bank of India (SBI) (Consortium Leader) pending regularization of Food Credit (FC) account availed by Government of Punjab (GOP) and resolution of other related issues, provision of 15% amounting to ₹ 191.22 Crore has been made in respect of outstanding balance of ₹ 1274.80 Crore (as advised by SBI) availed under FC by GOP.
- 4) Pursuant to Asset Quality Review (AQR) under section 35 of Banking Regulation Act, 1949 carried out by RBI, classification of advances referred to in the said review and consequential additional provision of ₹ 1727.12 crore as required thereof has been done and given effect to in these financial statements.

Except as above, there are no further notes/Disclosures required herein.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R.K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

SAURABH GARG
DIRECTOR

SHEKHAR BHATNAGAR
DIRECTOR

GURBAX K. JOSHI
DIRECTOR

Mrs. N.S. RATHNAPRABHA
DIRECTOR

SUPRATIM BANDYOPADHYAY
DIRECTOR

KETUL R. PATEL
DIRECTOR

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ in crore)

PARTICULARS	31- 03- 2016	31- 03- 2015
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit before taxes	(2,669.48)	890.40
I Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	239.43	229.24
Depreciation on investments (including on matured debentures)	850.61	(18.56)
Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	5,397.47	2,062.15
Provision for Standard Assets	(1,250.42)	586.95
Provision for Other items (Net)	314.76	38.18
(Profit) / Loss on sale of fixed assets (Net)	(74.31)	0.64
Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	-	696.03
Dividend Received from Subsidiaries	(10.03)	(3.42)
Sub total	2,798.03	4,481.61
II Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	10,611.80	15,503.40
Increase / (Decrease) in Borrowings	(16,766.24)	3,894.35
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(978.09)	1,744.77
(Increase) / Decrease in Advances	4,320.89	(13,811.46)
(Increase) / Decrease in Investments	21.81	(9,273.39)
(Increase) / Decrease in Other Assets	1,246.79	669.03
Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(946.83)	(959.85)
Sub total	(2,489.87)	(2,233.15)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	308.16	2,248.46
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / Disposal of Fixed Assets	117.07	815.15
Purchase of Fixed Assets	(305.97)	(1,099.77)
Dividend Received from Associates/Subsidiaries	10.03	3.42
Investment in Associate/Subsidiaries	-	(46.83)
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(178.87)	(328.03)



Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2016

(₹ in crore)

PARTICULARS	31- 03- 2016	31- 03- 2015
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital	700.57	1,207.85
Proceeds / Redemption of Subordinated Debts Tier II Capital	–	–
Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(82.91)	–
Dividend Tax	(16.18)	–
Interest on Subordinated Debt	–	(696.03)
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	601.48	511.82
D Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	730.77	2,432.25
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	14,114.85	11,926.63
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	695.43	451.40
Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	14,810.28	12,378.03
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	14,069.51	14,114.85
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,471.54	695.43
Net cash and cash equivalents at the end of the year	15,541.05	14,810.28

R. C. LODHA
Executive Director

B. K. DIVAKARA
Executive Director

R. K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



SAURABH GARG

Director

SHEKHAR BHATNAGAR

Director

SUPRATIM BANDYOPADHYAY

Director

KETUL R. PATEL

Director

SMT. N.S.RATHNAPRABHA

Director

GURBAX K.JOSHI

Director

For DOOGAR & ASSOCIATES

Chartered Accountants
F.R. No.000561N

For N.SARKAR & CO

Chartered Accountants
F.R. No.301075E

For B.N. MISRA & CO.

Chartered Accountants
F.R. No.321095E

(CA M.K.DOOGAR)

Partner
M.No.080077

(CA G.MUKHOPADHYAY)

Partner
M.No.010534

(CA B.N.MISRA)

Partner
M.No.083927

**For CHANDABHOY &
JASSOOBHOY**

Chartered Accountants
F.R. No.101647W

For LODHA & CO

Chartered Accountants
F.R.No.301051E

For PATHAK H D ASSOCIATES

Chartered Accountants
F.R.No.107783W

(CA AMBESH A.DAVE)

Partner
M.No.049289

(CA R.P.SINGH)

Partner
M.No.052438

(CA B.P.CHATURVEDI)

Partner
M.No.015585

Place : Delhi

Date : May 13, 2016



DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110 065	N SARKAR & CO 21 Prafulla Sarkar Street 2nd floor Kolkata - 700 072, West Bengal	B N MISRA & CO S-29 , MaitriVihar, Phase – II In front of Satyam Development Centre Bhubaneshwar - 751 023 Orissa
CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Maharashtra	LODHA & CO 14 Government Place East, Kolkata - 700 069, West Bengal	PATHAK H D & ASSOCIATES 814-815, Tulsiani Chambers, 212 Nariman Point, Mumbai - 400 021 Maharashtra

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

To The Members of CENTRAL BANK OF INDIA

- We have audited the accompanying **consolidated** financial statements of Central Bank of India ("The Bank") and its subsidiaries (collectively referred to as "The Group") and its associates comprising of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2016, the Consolidated Statement of Profit & Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the consolidated financial statements"), in which are incorporated:
 - Audited accounts of the Central Bank of India (The Bank), audited by us,
 - Audited accounts of two Subsidiaries which are audited by other auditors & unaudited accounts of three Regional Rural Banks (RRB),
 - Accounts of an Associate for a period of nine months audited by other auditor and unaudited accounts of the said Associate for the three months period ended March 31, 2016.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
- We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph 6 below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the consolidated financial statements.

Opinion

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries and associates as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
 - in the case of the consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2016;
 - in the case of consolidated Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date; and
 - in the case of the consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

**Emphasis of matter**

5. We invite your attention to:
- Note no. 4.5.3 (I & II) of Schedule 18 regarding provision in respect of segment of loan/ bonds non envisaged / envisaged to be converted into SDL Bonds in relation to Power Distribution Cos. (DISCOM) pursuant to UDAY Scheme;
 - Note no. 4.5.4 of Schedule 18 regarding provision on advances to Food Corporation of India in terms of directions issued by Reserve Bank of India.
 - Note no. 4.5.5 of Schedule 18 regarding provision made against certain borrowal accounts pursuant to directions on asset quality review received from Reserve Bank of India.
 - Note no. 5.7.1 of Schedule 18 regarding recognition of deferred tax asset on provision on Non Performing Assets;
 - Note no. 5.7.2 of Schedule 18 regarding recognition of deferred tax liability by one of the subsidiary on Special Reserves maintained by Housing Finance Companies.

Our opinion is not qualified in respect of this matter.

6. Other matter

- We did not audit the financial statements of (i) two subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,251.11 crore as at March 31, 2016 and total revenue of ₹ 125.70 crore and net cash flows amounting to ₹ 17.49 crore for the year ended on that date ; and (ii) one Associate reflecting net profit of ₹ 43.89 crore (the Bank's share ₹ 8.78 crore) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors. Our opinion is not qualified in respect of this matter.
- The Financial statements of three Regional Rural Banks which have not been audited reflect net profit of ₹ 16.59 crore (the Bank's share ₹ 5.81 crore) for the year ended March 31, 2016. Our opinion is based on the Un-audited financial statements of three Regional Rural Banks. Our opinion is not qualified in respect of above matters.

7. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 3 above and as required by the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank, as supplemented with the information furnished by the Management, have been found adequate for the purposes of our audit.
- We further report that:
 - the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
 - In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

(CA MUKUL MARWAH)
PARTNER
M.No.511239

For N. SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

For B.N. MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA B.N. MISRA)
PARTNER
M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOQBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301051E

(CA PRASHANT KHANDELWAL)
PARTNER
M No.056652

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)
PARTNER
M No.015585

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016



AUDITORS' REPORT ON ABRIDGED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

DOOGAR & ASSOCIATES 13, Community Centre, East of Kailash, New Delhi - 110 065	N SARKAR & CO 21 Prafulla Sarkar Street 2nd floor Kolkata - 700 072, West Bengal	B N MISRA & CO S-29 , MaitriVihar, Phase – II In front of Satyam Development Centre Bhubaneshwar - 751 023 Orissa
CHANDABHOY & JASSOOBHOY 208, Phoenix House, A wing, 462, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Maharashtra	LODHA & CO 14 Government Place East, Kolkata - 700 069, West Bengal	PATHAK H D & ASSOCIATES 814-815, Tulsiani Chambers, 212 Nariman Point, Mumbai - 400 021 Maharashtra

To the Members of Central Bank of India

We have examined the attached abridged consolidated Balance Sheet of Central Bank of India & its subsidiaries (collectively known as the "Group") & associates as at March 31, 2016, the abridged consolidated Profit and Loss Account annexed thereto together with the notes thereon (hereinafter referred as Abridged Consolidated Financial Statements).

These abridged consolidated financial statements have been prepared by the Bank pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.FNo.7/116/2012-BOA dated August 1, 2012 and are based on the audited consolidated financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2016 prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard – 21, 'Consolidated Financial Statements' and Accounting Standard 23 – 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and covered by our report dated May 27, 2016 to the Members of the Bank, which is attached hereto.

For DOOGAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.000561N

(CA MUKUL MARWAH)

PARTNER

M.No.511239

For N. SARKAR & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.301075E

(CA M. RAY)

PARTNER

M.No.012940

For B.N. MISRA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.321095E

(CA B.N. MISRA)

PARTNER

M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.101647W

(CA AMBESH A. DAVE)

PARTNER

M.No.049289

For LODHA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.301051E

(CA PRASHANT KHANDELWAL)

PARTNER

M No.056652

For PATHAK H D & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

F.R. No.107783W

(CA B.P.CHATURVEDI)

PARTNER

M No.015585

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016



Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	As at 31-Mar-2016	As at 31-Mar-2015
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	16,897,143	16,582,732
Reserves and Surplus	2	162,828,564	160,766,951
Minorities Interest	2A	350,698	327,308
Share Application Money Pending Allotment		5,350,000	–
Deposits	3	2,666,863,037	2,559,415,992
Borrowings	4	95,031,181	260,985,873
Other Liabilities and Provisions	5	118,890,830	129,579,267
TOTAL		3,066,211,453	3,127,658,123
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	140,702,036	141,163,743
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	14,994,534	7,216,549
Investments	8	890,866,809	899,214,016
Loans & Advances	9	1,808,951,840	1,890,675,267
Fixed Assets	10	43,601,348	28,340,606
Other Assets	11	167,005,990	160,959,046
Goodwill on Consolidation		88,896	88,896
TOTAL		3,066,211,453	3,127,658,123
Contingent Liabilities	12	768,034,422	908,932,783
Bills for Collection		118,375,835	110,608,049
Significant Accounting Policies	17		–
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R.K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016



**Consolidated Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2016**

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	YEAR ENDED 31.03.2016	YEAR ENDED 31.03.2015
I. INCOME			
Interest and Dividend Earned	13	259,876,567	264,759,775
Other Income	14	19,444,718	19,003,942
TOTAL		279,321,285	283,763,717
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	188,892,984	191,996,537
Operating Expenses	16	63,776,909	55,966,419
Provisions and Contingencies		37,708,130	29,617,806
TOTAL		290,378,023	277,580,762
III. PROFIT/(LOSS)			
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year of the parents & subsidiaries before Minority Interest & Prior Period Item		(11,056,738)	6,182,955
Less: Prior Period Item		(3,004,923)	-
Less: Minority Interest		(47,853)	(43,094)
Consolidated Net Profit/(Loss) for the year after deducting Minority's Interest & Prior Period Item		(14,109,514)	6,139,861
Add: Share of earnings in Associates		145,863	520,731
Consolidated Profit for the year attributable to the Group		(13,963,651)	6,660,592
Add: Brought forward consolidated Profit attributable to the Group		(7,389,809)	(10,718,733)
Profit Available for Appropriation		(21,353,460)	(4,058,141)
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to :			
Statutory Reserve		10,000	1,516,100
Investment Reserve		925,930	538,300
Revenue Reserve		9,541	9,300
Staff Welfare Fund		-	181,900
Fund in lieu of Insurance		-	20,000
Proposed Dividend -Preference Share Capital		-	-
Proposed Dividend -Equity Share Capital		-	829,100



Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2016

(000's Omitted)

PARTICULARS	Schedule No.	YEAR ENDED 31.03.2016	YEAR ENDED 31.03.2015
Tax on Dividend		17,849	177,693
Special Reserve U/S 36 (1) (viii)		28,710	36,220
Appropriation of DTL on spe. Reser. as per NHB guidelines		21,128	21,128
CSR Reserves as per companies Act		2,456	1,927
Balance Carried over to the Balance Sheet		(22,369,074)	(7,389,809)
TOTAL		(21,353,460)	(4,058,141)
Earnings Per Share (In ₹) – Basic		(8.42)	4.69
Earnings Per Share (In ₹) – Diluted		(8.42)	4.69
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R.K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016



NOTES TO ABRIDGED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF CENTRAL BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016.

1. Basis of Preparation:

The abridged Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of the audited financial statements of the Bank, its two Subsidiaries, and unaudited financial statements of four Associates for the year ended March 31, 2016 (hereinafter referred to as 'Consolidated Financial Statements') pursuant to notification of Ministry of Finance, Government of India vide its letter No.F.No.7/116.2012-BOA, dated August 1, 2012.

2. Significant Accounting Policies:

Significant accounting policies of the Bank including the basis of preparation of consolidated accounts are contained in Schedule 17 of the 'Consolidated Financial Statements'.

3. Notes to Accounts and other Disclosures:

Notes to Accounts and other disclosures are contained in Schedule 18 of the Consolidated Financial Statements. However, notes and disclosures inviting attention in the Auditors' Report are given in para 5 to 9 below.

4. The accounting year of the Associate, viz. Indo Zambia Bank Ltd. is calendar year. However share in profit has been taken for 9 months based on audited figures and 3 months based on unaudited figures.

5. In order to provide assistance to Power Distribution Companies (DISCOMS), pursuant to UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) scheme, the Bank has subscribed to Non SLR SDL bonds of ₹ 9232 crore issued by respective State Governments and State Government Guaranteed DISCOMS Bonds of ₹ 2538 crores against settlement of outstanding dues of DISCOMS as on 30th September 2015. In terms of RBI letter No. DBR.BP.NO. 11657/21.04.132/2015-16 dated 17th March 2016 read with further clarification dated 21st April 2016 and 11th May, 2016:

- Provision of ₹ 525.90 crores in respect of segment of loan/bonds of ₹ 3506.08 crores not envisaged to be converted into SDL Bonds has been made.
- No provision has been made for the segment of loan of ₹ 668.31 crores envisaged to be converted into SDL Bonds.
- Provision of ₹ 74.51 crores has been made for diminution in fair value of loan.
- There was no diminution in value of the DISCOM and SDL bonds on mark to market basis as at 31st March 2016 and as such no provision has been considered necessary

6. In respect of DISCOM loans of ₹ 1591.73 crore (including ₹ 1021.11 crores where MOU has been signed by the Punjab State Government, DISCOM & Ministry of Power), though the respective State Government has participated in the UDAY scheme, the same remains to be implemented by the Bank as on 31st March 2016. Accordingly, loans have been classified and treated as per usual IRAC norms. Adjustments required pursuant to the UDAY scheme with respect to these loans will be ascertained and given effect to on implementation thereof.

7. In compliance with the RBI letter No. DRB.NO.13018/21.04.048/2015-16 dated 12th April, 2016 as referred in the letter dated 16th April 2016 received from State Bank of India (SBI) (Consortium Leader) pending regularization of Food Credit (FC) account availed by Government of Punjab (GOP) and resolution of other related issues, provision of 15% amounting to ₹ 191.22 Crore has been made in respect of outstanding balance of ₹ 1274.80 Crore (as advised by SBI) availed under FC by GOP.

8. Pursuant to Asset Quality Review (AQR) under section 35 of Banking Regulation Act, 1949 carried out by RBI, classification of advances referred to in the said review and consequential additional provision of ₹ 1727.12 crore as required thereof has been done and given effect to in these financial statements.

9.1 Keeping in view the significant provisioning requirements and revision in guidelines of Deferred Tax Assets (DTA) in CET1 calculation by RBI, tax review based on management's estimate of possible tax benefits against timing difference has been carried out and ₹ 1088.28 Crore has been recognized as deferred tax assets as at 31st March 2016.

9.2 Cent Bank Home Finance Ltd. has created Deferred Tax Liability on Special Reserves to the tune of ₹ 3.09 crores (Previous year ₹ 3.00 crores) in pursuance with NHB guidelines NHB(ND)/DRS/Policy Circular 65/2014-15 through P/L Appropriation to the tune of ₹ 2.11 crores and ₹ 0.98 crores (Previous year ₹ 2.11 crores and ₹ 0.89 crores).



10. Exceptional/prior period items : Parent Bank has made a Provision of ₹ 300.52 crore relating to earlier years based on the actuarial valuation report pertaining to Employee Benefits (Pension Fund).
11. Figures of the previous year's have been regrouped/reclassified wherever considered necessary to confirm to current years classification.

(R.C.LODHA)
Executive Director

(B. K. DIVAKARA)
Executive Director

(R. K. GOYAL)
Executive Director

(RAJEEV RISHI)
Chairman & Managing Director

(SAURABH GARG)
DIRECTOR

(SHEKHAR BHATNAGAR)
DIRECTOR

(GURBAX.K.JOSHI)
DIRECTOR

(Ms. N.S. RATHNAPRABHA)
DIRECTOR

(SUPRATIM BANDYOPADHYAY)
DIRECTOR

For DOOGAR & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.000561N

For N.SARKAR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301075E

For B.N.MISRA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.321095E

(CA MUKUL MARWAH)
PARTNER
M.No.511239

(CA M. RAY)
PARTNER
M.No.012940

(CA B.N.MISRA)
PARTNER
M.No.083927

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.101647W

For LODHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.301051E

For PATHAK H D & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
F.R. No.107783W

(CA AMBESH A. DAVE)
PARTNER
M.No.049289

(CA PRASHANT KHANDELWAL)
PARTNER
M No.056652

(CA B.P.CHATURVEDI)
PARTNER
M No.015585

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016



Consolidated Cash Flow Statement For the year ended March 31, 2016

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31- 03- 2016	31-03-2015
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit before taxes	(2,651.15)	909.93
I. Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	239.79	229.62
Depreciation on investments (including on matured debentures)	850.61	(18.56)
Bad Debts written off/Provision in respect of non performing assets	5,399.92	2,061.98
Provision for Standard Assets	(1,247.97)	588.55
Provision for Other items (Net)	314.76	38.18
Interest on Income Tax (net)	-	-
Profit / Loss on sale of fixed assets (Net)	(74.32)	0.64
Payment/ provision for interest on subordinated debt (treated separately)	-	696.03
Loss on redemption of investment	-	-
Interest on JNY coupens	-	-
Sub total	2,831.64	4,506.37
II. Adjustments for :		
Increase / (Decrease) in Deposits	10,744.70	15,597.07
Increase / (Decrease) in Borrowings	(16,595.47)	3,962.03
Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(965.22)	1,853.26
(Increase) / Decrease in Advances	4,020.39	(13,963.45)
(Increase) / Decrease in Investments	(30.48)	(9,379.63)
(Increase) / Decrease in Other Assets	1,246.10	665.80
Direct Taxes paid (Net of Refund etc)	(970.37)	(967.74)
Net Cash from operating activities (A)	(2,550.35)	(2,232.66)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	281.29	2,273.71
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale / Disposal of Fixed Assets	157.35	815.27
Purchase of Fixed Assets	(306.32)	(1,100.11)
Investment in RRBs/Associates	-	(46.83)
NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(148.96)	(331.67)
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital	700.57	1,207.85
Dividend - Equity shares Including Interim Dividend	(84.25)	(1.34)
Dividend Tax	(17.03)	(0.81)
Interest on JNY Swap coupon	-	-
Interest on Subordinated Debt	-	(696.03)
NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	599.29	509.67



Consolidated Cash Flow Statement For the year ended March 31, 2016

(₹ in Crore)

PARTICULARS	31- 03- 2016	31-03-2015
D Net increase in cash & cash equivalents (A + B + C) or (F - E)	731.62	2,451.71
E CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	14,116.37	11,926.63
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	721.66	459.69
Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	14,838.03	12,386.32
F CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
Cash and Bank Balance with RBI	14,070.20	14,116.37
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	1,499.45	721.66
Net cash and cash equivalents at the end of the year	15,569.65	14,838.03

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

R.C. LODHA
Executive Director

B.K. DIVAKARA
Executive Director

R.K. GOYAL
Executive Director

RAJEEV RISHI
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai

Date : May 27, 2016



Central Bank of India

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

FORM 'B'

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholder)

9th Annual General Meeting

Folio No. or DP Id # / Client-Id #	
No. of Shares held	

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholders of Central bank of India hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 9th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of **CENTRAL BANK OF INDIA** to be held on Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 AM on 9th Floor at the head office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2016.

Signature of the Proxy

Please affix revenue stamp

Signature of the first named/ sole Shareholder

Name _____
(in Block Letters)

Address _____



INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless:
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his/her attorney duly authorised in writing.
 - b) In case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c) In the case of a body corporate, it is signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholders who is for any reason , unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an officer of Central Bank of India.
3. No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai, 400021 not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 PM on Friday, 24th June, 2016 being the immediate preceding working day to Saturday, 25th June 2016 which is holiday, together with the Power of Attorney or other Authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other Authority Certified as True Copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a Power of Attorney or any other Authority is previously deposited and registered with the Bank.
4. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of Proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholders who have executed an instrument of Proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
7. No person shall be appointed a duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. All alterations in the Proxy Form should be duly initialed by the executant.
9. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.

सेन्दल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India**Central Bank of India**

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ATTENDANCE SLIP**Annual General Meeting – Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 AM**

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name and address of the Member (In Block Letters)	
Joint Holders	
Name of the Proxy-holder/Representative Present in Block Letters (if any)	

Signature of the Member/Proxy/
Representative Present

Day and Date	Thursday, 30 th June, 2016
Place	Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai- 400 021

सेन्दल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India**Central Bank of India**

Head Office: Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400021

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Annual General Meeting – Thursday, 30th June, 2016 at 11.00 AM

Place: Central Bank of India, Head Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021

Regd. Folio/DPID & Client ID/No. of Shares	
Name of Member	
No. of Shares	

Name and signature of attending Member/
Proxy/Authorised Representative Present_____
Bank Stamp and Signature

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the venue. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

